



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-21102021-230583
CG-GJ-E-21102021-230583

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]
No. 480]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 18 अक्टूबर, 2021

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021

फा. सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रिग्यु - 016.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की धारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य: इन विनियमों का उद्देश्य किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अधिनियम, 2019(2019 का 50) के विनियमनकारी कार्यक्षेत्र में लाना है।

3. परिभाषाएं -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) 'आवेदक' से -

- (i) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत कोई 'बीमाकर्ता';
- (ii) कोई विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता;
- (iii) लॉयड्स के सदस्यों की ओर से लॉयड्स की कोई सोसाइटी;
- (iv) आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा रजिस्ट्रीकृत 'विदेशी बीमाकर्ता का कोई शाखा कार्यालय' या 'लॉयड्स इंडिया';
- (v) किसी बीमाकर्ता या किसी पुनर्बीमाकर्ता की कोई ऐसी लोक कंपनी या कोई पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन गठित और रजिस्ट्रीकृत है;
- (vi) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984(1984 का 51) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई बीमा सहकारी सोसाइटी;
- (vii) भारत के बाहर किसी देश में निगमित कोई ऐसा निगमित निकाय जो किसी प्राइवेट कंपनी की प्रकृति का नहीं है; या
- (viii) ऐसा प्रबंधन महा-अभिकर्ता, जिसका किसी विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के साथ कोई विधिमान्य बाध्यकारी करार है,

अभिप्रेत हैं।

(ग) 'प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) 'बाध्यकारी करार' से किसी एम.जी.ए. और किसी विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के बीच किया गया ऐसा करार अभिप्रेत है, जिसके अधीन कोई विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता किसी एम.जी.ए. को उसकी ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करने और बीमा संविदा करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(ङ) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, 'आवेदक का बोर्ड' से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-परिभाषित कोई 'बोर्ड' या समतुल्य कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(च) 'प्रमाणपत्र' से इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(छ) 'घरेलू टैरिफ' या 'डी.टी.ए.' से संपूर्ण भारत (जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागरखंड और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि भी है) अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रों का क्षेत्र नहीं आता है;

(ज) 'विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता' से बीमा या पुनर्बीमा कारबार या दोनों में संव्यवहार करने के लिए भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन निगमित और अपने देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण के पास सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कोई निकाय अभिप्रेत है;

(झ) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, 'भारतीय बीमाकर्ता' से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(9)(क), (ख) और (ग) के अधीन परिभाषित कोई बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(ञ) 'भारतीय वित्तीय सेवा केन्द्र' या 'आई.एफ.एस.सी.' का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है;

(ट) 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा कार्यालय' या 'आई.आई.ओ.' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है;

- (ठ) 'आई.एन.आर.' से भारतीय मुद्रा अभिप्रेत है, जिसे भारतीय रुपए कहा जाता है;
- (ड) 'आई.आर.डी.ए.आई.' से बीमा विनायमक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन गठित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ढ) 'लॉयड्स' से हामीदारों(निम्नांककों) की ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो यूनाइटेड किंगडम में लॉयड्स के रूप में ज्ञात है और यूनाइटेड किंगडम के लॉयड्स ऐक्ट, 1871 द्वारा निगमित है;
- (ण) 'लॉयड्स आई.एफ.एस.सी.' से लॉयड्स का ऐसा शाखा कार्यालय अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण द्वारा बीमा या पुनर्बीमा कारबार करने के लिए इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
- (त) 'प्रबंधन महा-अभिकर्ता' या 'एम.जी.ए.' से अभिप्रेत है –
- (i) भारत के बाहर निगमित ऐसा निगमित निकाय, जो किसी विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के साथ किसी बाध्यकारी करार के अनुसरण में बीमा या पुनर्बीमा या दोनों करने के लिए प्राधिकृत है;
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कोई ऐसी कंपनी, जो किसी विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के साथ किसी बाध्यकारी करार के अनुसरण में बीमा या पुनर्बीमा या दोनों में कारबार करने के लिए प्राधिकृत है।
- (थ) 'मूल इकाई' या 'प्रधान कार्यालय' से इस उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन यथा-परिभाषित आवेदक या आवेदक का कोई ऐसा अन्य सहबद्ध अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण के अनुमोदन से प्रधान कार्यालय के रूप में अभिहित किया गया है;
- (द) 'प्राइवेट कंपनी' और 'पब्लिक कंपनी' के वही अर्थ हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (68) और खंड (71) में क्रमशः उनके हैं;
- (ध) 'स्वामित्वाधीन शुद्ध निधि' या 'एन.ओ.एफ.' से समादत्त साधारण पूंजी, मुक्त आरक्षितियां और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के योग में से संचित हानि और अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य को घटाने के पश्चात् आने वाली धनराशि अभिप्रेत है;
- स्पष्टीकरण:** एन.ओ.एफ. की संगणना अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर की जानी चाहिए। तुलन पत्र की तारीख के पश्चात् जुटाई गई किसी पूंजी को एन.ओ.एफ. की संगणना करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए;
- (न) 'विनियम' से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 अभिप्रेत है; और
- (प) 'यू.एस.डी.' से अमरीकी डॉलर अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या, यथास्थिति, किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुनर्अधिनियमिति में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

आई.एफ.एस.सी. बीमा कार्यालय की स्थापना

4. रजिस्ट्रीकरण –

- (1) कोई भी व्यक्ति, प्राधिकरण से इन विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किए बिना किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा या पुनर्बीमा का कारबार आरंभ नहीं करेगा;
- (2) रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाला कोई आवेदक, जिसके अंतर्गत लॉयड्स भी है, इन विनियमों की पहली अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट प्ररूपों में और प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट रीति में आवेदन करेगा।

स्पष्टीकरण:

- (i) लॉयड्स, लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. और लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनी के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित उपबंध इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;
- (ii) एम.जी.ए. और सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता और उसके रजिस्ट्रीकरण से संबंधित उपबंध इन विनियमों की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

5. रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता शर्तें:

(1) यथास्थिति, ऐसा भारतीय बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता, जो किसी आई.एफ.एस.सी. में किसी अनिगमित रूप में कारबार स्थल स्थापित करने का इच्छुक है, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा –

- (क) आवेदक भारत में बीमा या पुनर्बीमा का कारबार करने के लिए आई.आर.डी.ए.आई. के पास सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है;
- (ख) आवेदक को किसी आई.एफ.एस.सी. में कारबार-स्थल स्थापित करने के लिए आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
- (ग) आवेदक का बोर्ड, इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (7) में यथा-उल्लिखित पदाधिकारियों का रिपोर्टिंग ढांचा प्रस्तुत करेगा;
- (घ) आवेदक की विनियमनकारी और पर्यवेक्षी अनुपालन की बाबत पिछली संतोषप्रद उपलब्धियां हैं;
- (ङ) आवेदक का बोर्ड, आई.आई.ओ. के यथास्थिति, बीमा या पुनर्बीमा कारबार से उद्भूत होने वाले समस्त दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है;
- (च) आवेदक का बोर्ड, समनुदेशित पूंजी, शोधन-क्षमता और अन्य अपेक्षाओं का, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुपालन करने का वचन देता है।

(2) यथास्थिति, ऐसा कोई विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता या एम.जी.ए. या लॉयड्स, जो किसी आई.एफ.एस.सी. में किसी अनिगमित रूप में शाखा स्थापित करने का इच्छुक है, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा –

- (क) आवेदक, बीमा या पुनर्बीमा या दोनों कारबार में संव्यवहार करने के लिए अपने देश या अपने निगमन या अधिवास के देश में रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञप्त है;
- (ख) आवेदक को किसी आई.एफ.एस.सी. में कोई आई.आई.ओ. स्थापित करने के लिए अपने देश या अपने निगमन या अधिवास के देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
- (ग) ऐसा आवेदक, जो पुनर्बीमा कारबार में संव्यवहार करने का इच्छुक है, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट स्वामित्वाधीन शुद्ध निधि संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करेगा;
- (घ) आवेदक का बोर्ड, समनुदेशित पूंजी, शोधन-क्षमता और अन्य अपेक्षाओं का, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुपालन करने का वचन देता है;
- (ङ) आवेदक का बोर्ड, आई.आई.ओ. के यथास्थिति, बीमा या पुनर्बीमा कारबार से उद्भूत होने वाले समस्त दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है;
- (च) आवेदक की, विनियमनकारी और पर्यवेक्षी अनुपालन की बाबत अपने देश या निगमन या अधिवास के देश में और ऐसे किसी अन्य देश में भी, जिसमें वह कार्य संचालन कर रहा है, पिछली संतोषप्रद उपलब्धियां हैं;
- (छ) आवेदक ऐसे किसी राष्ट्रीय विनियमनकारी परिवेश में रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित है, जिसके साथ भारत सरकार ने दोहरे कराधान परिवर्जन करार पर हस्ताक्षर किए हैं;
- (ज) आवेदक का बोर्ड, इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (7) में यथा-उल्लिखित पदाधिकारियों का रिपोर्टिंग ढांचा प्रस्तुत करेगा;
- (झ) आवेदक की पिछले तीन वर्षों के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रख्यात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ओर से कम से कम अच्छी वित्तीय प्रतिभूति लक्षणों वाली न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग हो;
- (ञ) आवेदक ऐसे सभी व्यौरों और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी अपेक्षा की जाए और ऐसी किन्हीं अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

स्पष्टीकरण: ऐसी दशा में, जहां आवेदक एम.जी.ए. और सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता है, वहां प्राधिकरण लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करने की सलाह दे सकेगा।

(3) 'विदेशी बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय' या 'लॉयड्स इंडिया', जो आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा रजिस्ट्रीकृत है और किसी

आई.एफ.एस.सी. में किसी अनिगमित रूप में कोई कार्यालय स्थापित करने का इच्छुक है, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा:-

(क) 'विदेशी बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय' या 'लॉयड्स इंडिया' के आवेदक को उसके निगमन के देश के विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा भारत में आई.आई.ओ. स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

(ख) 'विदेशी बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय' या 'लॉयड्स इंडिया' के आवेदक का बोर्ड, समनुदेशित पूंजी, शोधन-क्षमता और अन्य अपेक्षाओं का, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुपालन करने का वचन देता है;

(ग) 'विदेशी बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय' या 'लॉयड्स इंडिया' के आवेदक का बोर्ड, आई.आई.ओ. द्वारा किए गए कारबार से उद्भूत होने वाले समस्त दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है;

(घ) 'विदेशी बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय' या 'लॉयड्स इंडिया' के आवेदक का बोर्ड, इन विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (7) में यथा-उल्लिखित पदाधिकारियों का रिपोर्टिंग ढांचा प्रस्तुत करेगा;

(ङ) आवेदक ऐसे सभी व्यौरे और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी अपेक्षा की जाए और ऐसी किन्हीं अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) ऐसी पब्लिक कंपनी या किसी बीमाकर्ता या किसी पुनर्बीमाकर्ता की पूर्णतया स्वामित्व वाली कोई सहायक कंपनी, जो किसी आई.एफ.एस.सी. में आई.आई.ओ. स्थापित करने की इच्छुक है, शेयरों द्वारा सीमित एक ऐसी कंपनी होगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन गठित और रजिस्ट्रीकृत है;

(5) ऐसी बीमा सहकारी सोसाइटी, जो किसी आई.एफ.एस.सी. में आई.आई.ओ. स्थापित करने की इच्छुक है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912(1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी है;

(6) किसी आई.एफ.एस.सी. में अपना कारबार-स्थल स्थापित करने का इच्छुक भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन निगमित ऐसा निगमित निकाय, जो प्राइवेट कंपनी की प्रकृति का नहीं है, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा:

(क) वह किसी आई.एफ.एस.सी. में, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन अपना कारबार-स्थल स्थापित करता है; और

(ख) वह ऐसे किसी राष्ट्रीय विनियमनकारी परिवेश में रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित है, जिसके साथ भारत सरकार ने दोहरे कराधान परिवर्जन करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(7) प्राधिकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पूर्व अपना यह समाधान कर सकेगा कि आवेदक, उसके संप्रवर्तक, प्रधान अधिकारी, निदेशक, भागीदार, अभिहित भागीदार या कोई अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक(के.एम.पी.) उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं;

(8) आवेदक इकाई और उसके संप्रवर्तक, भागीदार या नियंत्रक शेयरधारक किसी एफ.ए.टी.एफ. सम्मत अधिकारिता-क्षेत्र से होंगे और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम के लिए स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेंगे।

(9) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त पात्रता शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा और आवेदकों के किसी विशिष्ट वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे अतिरिक्त व्यौरों और जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह उचित समझे या इन विनियमों में कथित किसी पात्रता शर्त को उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल कर सकेगा।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया

6. आई.आई.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाला कोई आवेदक, जिसके अंतर्गत लॉयड्स भी है, इन विनियमों की पहली अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत प्ररूप में आवेदन कर सकेगा;

7. (1) प्राधिकरण, यदि उसका आवेदन पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाता है, आवेदक को, इन विनियमों के अधीन

यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों या ऐसी अन्य अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे, इन विनियमों की चौथी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे प्राधिकरण द्वारा प्रतिसंहत या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

8. यदि आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकरण की यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है तो वह आवेदक को कमियां संसूचित करेगा और उनमें सुधार करने के लिए तीस दिन का समय देगा।

9. यदि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी कमियों में प्राधिकरण के संतोषप्रद रूप में सुधार करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार कर सकेगा और आवेदक को ऐसी इनकारी के लिए कारण देते हुए संसूचित करेगा:

परन्तु प्राधिकरण द्वारा, आवेदक को उन आधारों के बारे में, जिस पर रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया जाना प्रस्थापित है, लिखित निवेदन करने का अवसर दिए बिना, ऐसी कोई इनकारी नहीं की जाएगी।

अध्याय 4

अनुज्ञेय क्रियाकलाप

10. प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत कोई आई.आई.ओ. निम्नलिखित में से किसी भी वर्ग में, जैसा प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, कारबार कर सकेगा:-

(क) जीवन बीमा कारबार;

(ख) साधारण बीमा कारबार;

(ग) स्वास्थ्य बीमा कारबार; या

(घ) पुनर्बीमा कारबार।

परन्तु ऐसे आई.आई.ओ. को, जो भारतीय बीमाकर्ता के कारबार-स्थल या विदेशी बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, कारबार के ऐसे वर्ग में संव्यवहार करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसा आवेदक को उसके अपने देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया गया है।

11. कोई आई.आई.ओ. अपना कारबार ऐसे व्यक्तियों के साथ, चाहे वे भारत में निवासी हैं अथवा नहीं, जैसा प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए, आई.एन.आर. से भिन्न किसी भी निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में करेगा।

12. कोई आई.आई.ओ. अपने आप को ऐसे कारबार से भिन्न, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, किसी कारबार में नियोजित नहीं करेगा।

13. ऐसे किसी आई.आई.ओ. को, जो सीधे बीमा कारबार में संव्यवहार करने के लिए रजिस्ट्रीकृत है, अन्य एस.ई.जैड से और भारत के बाहर से भी आई.एफ.एस.सी. के भीतर ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

14. ऐसा आई.आई.ओ., जो सीधे बीमा कारबार में संव्यवहार करने के लिए रजिस्ट्रीकृत है, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2गख के अनुसार के सिवाय डी.टी.ए. से सीधा बीमा कारबार नहीं लिखेगा।

15. पुनर्बीमा कारबार की दशा में, आई.आई.ओ. -

(1) अन्य एस.ई.जैड से उत्पन्न होने वाले जोखिम के संबंध में, आई.एफ.एस.सी. में आधारित सीडेंटों से पुनर्बीमा कारबार और भारत के बाहर से पुनर्बीमा कारबार स्वीकार कर सकेगा;

(2) डी.टी.ए. में प्रचालन कर रहे बीमाकर्ताओं से, आई.आर.डी.ए.आई. (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 में विनिर्दिष्ट बन्द करने के अधिमान-क्रम के अनुसार पुनर्बीमा कारबार स्वीकार कर सकेगा।

16. कोई आई.आई.ओ., बीमा या पुनर्बीमा कारबार से संबंधित ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान कर सकेगा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु आवेदक ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, पूर्व-अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

अध्याय 5

मूलभूत विनियमनकारी और संचालन संबंधी अपेक्षाएं

17. आई.आई.ओ. निम्नलिखित मूलभूत विनियमनकारी अपेक्षाओं या ऐसी अन्य अपेक्षाओं का, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुसरण करेगा-

(1) स्वामित्वाधीन शुद्ध निधियां (एन.ओ.एफ.)

(i) ऐसा आवेदक, जो एक विदेशी कंपनी है और किसी आई.एफ.एस.सी. में स्थापित किसी शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा कारबार में लगा हुआ है, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन विहित स्वामित्वाधीन शुद्ध निधि संबंधी अपेक्षा का अनुपालन करेगा;

(ii) आवेदक किसी निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में एन.ओ.एफ. संबंधी अपेक्षा का अनुपालन प्रदर्शित कर सकेगा; और

(iii) आवेदक द्वारा प्रमाणपत्र के अस्तित्व में रहने और विधिमान्यता के दौरान सभी समयों पर एन.ओ.एफ. को बनाए रखा जाएगा।

परन्तु जहां आवेदक एक एम.जी.ए. है वहां सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता एन.ओ.एफ. संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;

परन्तु यह और कि जहां आवेदक पब्लिक कंपनी से भिन्न है वहां एन.ओ.एफ. वही होगा जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(2) **समनुदेशित पूंजी:** किसी आई.एफ.एस.सी. में कारबार-स्थल स्थापित करने का इच्छुक कोई भारतीय बीमाकर्ता, शाखा कार्यालय स्थापित करने का इच्छुक कोई विदेशी बीमाकर्ता, कोई विदेशी पुनर्बीमाकर्ता या कोई एम.जी.ए. या लॉयड्स निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय किसी विदेशी मुद्रा में 1.5 मिलियन यू.एस.डी. के समतुल्य न्यूनतम समनुदेशित पूंजी बनाए रखेगा:

परन्तु -

(क) समनुदेशित पूंजी नियत की जाएगी और वह आवेदक द्वारा अपने देश, उसके निगमन या अधिवास के देश में धारित की जाएगी;

(ख) ऐसी समनुदेशित पूंजी का निवेश उसके अपने देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा; और

(ग) समनुदेशित पूंजी, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त समनुदेशित पूंजी भी है, यदि कोई है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा आदिष्ट किया जाए, आवेदक द्वारा आई.आई.ओ. के रजिस्ट्रीकरण के अस्तित्व में रहने और उसकी विधिमान्यता के दौरान सभी समयों पर बनाए रखी जाएगी।

परन्तु यह और कि जहां आवेदक एक एम.जी.ए. है वहां सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता समनुदेशित पूंजी संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(3) समादत्त साधारण पूंजी:

प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाली कोई पब्लिक कंपनी, किसी बीमाकर्ता या किसी पुनर्बीमाकर्ता के पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, कोई बीमा सहकारी सोसाइटी या कोई निगमित निकाय, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन यथा-विहित समादत्त साधारण पूंजी संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(4) शोधन-क्षमता मार्जिन अपेक्षा

(i) भारतीय बीमाकर्ता के कारबार-स्थल, विदेशी बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता, एम.जी.ए. या लॉयड्स के शाखा कार्यालय के रूप में किसी आई.आई.ओ. का रजिस्ट्रीकरण कराने वाला कोई आवेदक अपने आई.आई.ओ. के लिए ऐसा शोधन-क्षमता मार्जिन बनाए रखेगा, जैसा उसके अपने देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाए;

परन्तु -

- (क) ऐसा शोधन-क्षमता मार्जिन अपने देश में, उसके निगमन या अधिवास के देश में बनाए रखा जा सकेगा;
- (ख) ऐसे शोधन-क्षमता मार्जिन का समर्थन करने वाली आस्तियों का निवेश उसके अपने देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा;
- (ग) ऐसे शोधन-क्षमता मार्जिन का समर्थन करने वाली आस्तियां, प्रमाणपत्र के अस्तित्व में रहने और उसकी विधिमान्यता के दौरान सभी समयों पर विल्लंगम रहित रहेंगी; और
- घ) आई.आई.ओ., आवेदक के नियुक्त बीमांकक द्वारा जारी किया गया इस आशय का तिमाही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि आई.आई.ओ. की ओर से आस्तियों, दायित्वों और शोधन-क्षमता मार्जिन को आवेदक के प्रधान कार्यालय में बनाए रखा जा रहा है।

परन्तु यह और कि जहां आवेदक एक एम.जी.ए. है वहां सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शोधन-क्षमता अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(ii) किसी आई.एफ.एस.सी. में आई.आई.ओ. को रजिस्टर कराने वाली कोई पब्लिक कंपनी, किसी बीमाकर्ता या किसी पुनर्बीमाकर्ता के पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, कोई बीमा सहकारी सोसाइटी या कोई निगमित निकाय ऐसा शोधन-क्षमता मार्जिन बनाए रखेंगे, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(5) आई.आई.ओ., अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, उनके अधीन जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

(6) कारबार प्रचालन का प्रारंभ

(i) कोई आई.आई.ओ. वह कारबार, जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकृत किया गया है, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से बारह(12) मास के भीतर प्रारंभ करेगा:

परन्तु यदि कोई आई.आई.ओ. बारह(12) मास की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कारबार प्रारंभ करने में समर्थ नहीं है तो वह समय सीमा समाप्त होने से पूर्व किन्तु कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास समय के विस्तारण के लिए एक आवेदन करेगा।

(ii) प्राधिकरण का अध्यक्ष, आवेदन प्राप्त होने पर उसकी परीक्षा करेगा और उस संबंध में लिखित में आदेश संसूचित करेगा:

परन्तु प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से अठारह (18) मास से परे समय-विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, कोई कारबार-स्थल या शाखा स्थापित करने का इच्छुक कोई आवेदक, जिसके अंतर्गत लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनी या एम.जी.ए. का आवेदक भी है, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से यथास्थिति, आई.आई.ओ. या लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनी के लिए एक प्रधान अधिकारी नियुक्त करेगा जो आई.आई.ओ. के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए तथा उसके विनियमनकारी अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगा -

(i) लॉयड्स से भिन्न कोई आवेदक, अपने आई.आई.ओ. के लिए निम्नलिखित की नियुक्ति करेगा -

(क) प्रधान अधिकारी;

(ख) जोखिम की हामीदारी का भारसाधक अधिकारी, जिसके पास सुसंगत अनुभव है; और

(ग) वित्त और लेखा का भारसाधक अधिकारी, जिसके पास सुसंगत अनुभव है।

(ii) लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. का कोई आवेदक निम्नलिखित की नियुक्ति करेगा - (क) प्रधान अधिकारी, और

(ख) वित्त और लेखा का भारसाधक अधिकारी, जिसके पास सुसंगत अनुभव है।

परन्तु लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. के वित्त और लेखा का भारसाधक अधिकारी लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनियों के मामलों से संबंधित वित्त और लेखा के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(iii) लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनी का आवेदक निम्नलिखित की नियुक्ति करेगा -

(क) प्रधान अधिकारी, और

(ख) जोखिम की हामीदारी के भारसाधक अधिकारी, जिसके पास सुसंगत अनुभव है।

(iv) ऊपर उल्लिखित अधिकारी –

(i) यथास्थिति, आई.आई.ओ. या लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनी के सीधे नियोजन में होंगे और वे भारत में निवासी होंगे; और

(ii) प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट 'उपयुक्त और उचित' मानदंड को पूरा करेंगे।

(8) विनियम 17 के उप-विनियम (7) में उल्लिखित आवेदकों से भिन्न कोई आवेदक, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से:-

(क) कम से कम निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (के.एम.पी.) की नियुक्ति करेगा, जो आई.आई.ओ. के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और विनियमनकारी अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे:-

(i) एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

(ii) एक मुख्य वित्त अधिकारी; और

(iii) एक मुख्य हामीदारी अधिकारी,

(ख) आई.आई.ओ. ऐसे अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति नियुक्त करेगा जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) ऊपर उल्लिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

(i) आई.आई.ओ. के प्रत्यक्ष नियोजन में होंगे और भारत में निवासी होंगे; और

(ii) प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट 'उपयुक्त और उचित' मानदंड को पूरा करेंगे।

(9) आई.आई.ओ., पुनर्बीमा और पुनः पुनर्बीमा से संबंधित ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

(10) आई.आई.ओ. अपनी लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(11) आई.आई.ओ. अपने ग्राहक को पहचानिए (के.वाई.सी.) और धनशोधन रोधी(ए.एम.एल.) ऐसे दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

(12) रिपोर्टिंग अपेक्षाएं-

(i) प्रत्येक आई.आई.ओ., प्राधिकरण को अपने प्रचालन से संबंधित जानकारी ऐसी रीति में, ऐसे अंतराल पर और ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

• ii • किसी आई.आई.ओ. द्वारा प्राधिकरण को की जाने वाली प्रत्येक वित्तीय रिपोर्टिंग तब तक यू.एस.डी. में होगी जब तक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

(13) प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं-

(i) आई.आई.ओ. ऐसी फीस और प्रभारों का संदाय करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(ii) किसी आई.आई.ओ. को, अपने प्रशासनिक, कानूनी व्ययों को चुकाने और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, निर्बाध रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में से एक आई.एन.आर. खाता रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(14) शेयर-धृति में परिवर्तन • • ऐसी पब्लिक कंपनी, जिसे आई.आई.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, अपनी समादत्त साधारण शेयर पूंजी में, चाहे विद्यमान शेयरों के अंतरण द्वारा या नए अथवा विद्यमान शेयरधारक को शेयरों के नए निर्गम के रूप में शेयरधृति में पांच प्रतिशत से अधिक किसी परिवर्तन के लिए प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की ईप्सा करेगी।

परन्तु शेयरधृति में ऐसा कोई परिवर्तन, जो उसकी समादत्त साधारण शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से कम है, प्राधिकरण को पूर्व सूचना देकर किया जाएगा।

(15) इन अपेक्षाओं के अतिरिक्त, आई.आई.ओ. ऐसे विवेकपूर्ण मानकों का अनुसरण करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

18. प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति प्राधिकरण, इन विनियमों के कार्यान्वयन और उससे आनुषंगिक विषय के प्रयोजनार्थ या किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा और पुनर्बीमा से संबंधित वित्तीय सेवाओं को सुकर बनाने और उन्हें विनियमित करने की दृष्टि से, ऐसे मानक, प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं, रीतियां विनिर्दिष्ट कर सकेगा या दिशानिर्देशों या परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण और शिथिलताएं प्रदान कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

19. निरीक्षण, अन्वेषण और जानकारी प्राधिकरण को आई.आई.ओ. के कार्यकलाप का निरीक्षण करने और या अन्वेषण करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत आई.आई.ओ., उसके कर्मचारियों और आवेदक से ऐसी जानकारी मांगना भी है, जहां तक कि वह आई.आई.ओ. के रूप में उसके क्रियाकलापों से संबंधित है।

20. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई

(1) यदि प्राधिकरण की, किसी निरीक्षण और या अन्वेषण के अनुसरण में या अन्यथा यह राय है कि किसी आई.आई.ओ. का प्रचालन अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है या उसके क्रियाकलाप बीमा बाजार के हितों में या लोक हित में नहीं हैं तो प्राधिकरण उसके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जिसके अंतर्गत आई.आई.ओ. को अपने निवेदन करने का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण भी है किन्तु वह कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है।

(2) प्राधिकरण, उपर्युक्त बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा, जो वह अधिनियम और अन्य लागू विधियों के अधीन उचित समझे।

21. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

किसी आवेदक को, केवल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अपना आई.आई.ओ. बन्द करने और अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

22. निरसन और व्यावृत्ति

इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के दिशानिर्देश सं. आई.आर.डी.ए. आई.आई. जी.डी.एल. एस.ई.ज़ैड 269 12 2017, तारीख 21 दिसम्बर, 2017 का निरसन हो जाएगा।

(2) उपर्युक्त बातों के होते हुए भी, उप-विनियम (1) में उल्लिखित दिशानिर्देशों की बाबत की गई या की गई तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

(3) ऐसा आई.आई.ओ., जो इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व आई.एफ.एस.सी. में प्रचालनाधीन है, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो प्राधिकरण अनुज्ञात करे, इन विनियमों में पुरःस्थापित अतिरिक्त अपेक्षाओं का, यदि कोई हैं, अनुपालन करेगा।

पहली अनुसूची

[विनियम 4(2) देखिए]

प्ररूप-क

किसी भारतीय बीमाकर्ता या भारतीय पुनर्बीमाकर्ता द्वारा आई.आई.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियां	आवेदक का प्रत्युत्तर	टिप्पणियां
अनुभाग क: कंपनी प्रोफाइल			
1	आवेदक का नाम		
2	उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता		

3	निगमन की तारीख [ता/मा/वर्ष]		
4	रजिस्ट्रीकरण सं. और प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख [ता/मा/वर्ष]		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
5	वर्तमान में किए जाने वाले कारबार की श्रृंखला क.यथास्थिति, बीमा या पुनर्बीमा कारबार की श्रृंखला ख.प्रचालन के देश		
6	प्राधिकृत पूंजी, अभिदत्त पूंजी, निर्गम पूंजी की रकम और शेयरों का अंकित मूल्य और उनकी संख्या		
7	बोर्ड के संकल्प आई.आई.ओ. स्थापित करने की प्रतिबद्धता के समर्थन में आवेदक के बोर्ड के संकल्प की प्रति दें		उपाबंध-
8	प्रस्तावित आई.आई.ओ. के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे		आई.आई.ओ. के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नियुक्त करने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रति दें
9	विनियमनकारी अनुमोदन एस.ई.ज़ैड में बीमा कारबार करने के लिए एस.ई.ज़ैड में कार्यालय खोलने हेतु विनियमनकारी अनुमोदनों की प्रतियां दें।		उपाबंध-
10	वार्षिक रिपोर्टें पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें		उपाबंध-
11	कार्यालय का ब्यौरा, जो खोला जाना प्रस्तावित है:	क.कार्यालय का नाम: ख.कार्यालय पता: ग.पत्र-व्यवहार के लिए पता (प्रधान अधिकारी का नाम, टेलीफोन नं., फैक्स नं., मोबाइल नं., ईमेल पता और ऐसे अन्य ब्यौरे) घ.आई.आई.ओ. के लिए प्रधान अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उत्तरदायित्वों का आबंटन(प्रस्तावित) ङ.संगठनात्मक ढांचा: आई.आई.ओ. का बीमाकर्ता से रिपोर्टिंग संबंध च.प्रस्तावित कार्यालय में योजनाबद्ध अवसंरचना	

12	फीस के संदाय के ब्यौरे		
13	आवेदन की तारीख से तीन वर्ष पूर्व भारतीय बीमाकर्ता का शोधन-क्षमता मार्जिन		
अनुभाग ख: आई.आई.ओ. की कारबार रणनीति			
14	पेश की जाने वाली, यथास्थिति, बीमा या पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार आवेदक बीमा या पुनर्बीमा की व्यवस्थाओं के उन प्रकारों के ब्यौरे दे सकेगा, जो वह भारतीय और अन्य बाजारों को देगा।		उपाबंध-
15	हामीदारी(निष्ठांकन) इस अनुभाग में प्रस्ताव, आदि की हामीदारी के लिए प्रयोग की गई पद्धति का वर्णन किया जाना चाहिए। कृपया हामीदारी में और हामीदार के प्रशिक्षण में और प्रधान कार्यालय द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के कौशल के उन्नयन के लिए दी जाने वाली सहायता की प्रकृति का कथन करें।		उपाबंध-
16	भर्ती और प्रशिक्षण कंपनी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न कौशल वाले कार्मिकों की आवश्यकता होती है। कुछ विशेष तकनीकी कौशल के लिए विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी स्थानीय रूप से तकनीकी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए अपनी योजनाओं में एक विस्तृत लेख प्रस्तुत कर सकेगी।		उपाबंध-
17	आंतरिक नियंत्रण कंपनी के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रक्रियाओं और मानकों का सैट स्थापित करना आवश्यक होगा। उस रीति का वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें इन्हें मानिटर किया जाएगा।		उपाबंध-
18	प्रशासन के व्यय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित व्यय		उपाबंध-
19	तकनीकी कौशल उन लोगों का तकनीकी कौशल, जो आई.आई.ओ. में काम करेंगे और स्थानीय स्तर पर कौशल के उन्नयन के लिए जानकारी देने की योजना।		उपाबंध-
20	वित्तीय अनुमान आरंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए, प्रत्येक वर्ष की उपधारणाओं पर आधारित वित्तीय अनुमानों के लिए प्रयुक्त मॉडल का विवरण दिया जाना चाहिए। अगले प्रकोष्ठ में सूचीबद्ध प्रत्येक मद के सामने ब्यौरे दें (राशि यू.एस.डी. में होनी चाहिए)	क.कारबार की रकम ख.सहायक और प्रशासनिक स्टाफ का आकार ग.प्रीमियम आय घ.निवेश से आय ड.कमीशन और अन्य	उपाबंध-

		विक्रय से संबंधित व्यय च.प्रशासन के व्यय छ.कानूनी आरक्षितियां ज.अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन झ.लाभ और हानि लेखा और तुलन-पत्र ञ. प्रथम वर्ष और नवीकरण व्यय अनुपात	
21	निष्कर्ष अंततः, कृपया प्रचालनों की व्यवहार्यता की चर्चा करें। किसी विशेष मुद्दे या चिन्ता को भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।		

प्रमाणन

मैं, अधोहस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि आवेदक कंपनी की ओर से इस आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्य सही हैं और यह कि अनुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत उपधारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(पदनाम और मुद्रा सहित)

- **अंग्रेज़ी अनुवाद:** यदि कोई दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में नहीं है तो प्रमाणित अंग्रेज़ी अनुवाद अपेक्षित है। अंग्रेज़ी अनुवाद, आवेदक के देश में बीमा पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा या किसी बाहरी विधिक काउन्सेल द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि होनी चाहिए।

प्ररूप – ख

किसी विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा आई.आई.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियां	आवेदक का प्रत्युत्तर	टिप्पणियां
अनुभाग क: कंपनी प्रोफाइल			
1	आवेदक का नाम		
2	उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता		
3	बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के रूप में निगमन की तारीख [ता/मा/वर्ष]		निगमन प्रमाणपत्र/ प्रसंविदा विलेख/अन्य विधिमान्य सबूत
4	रजिस्ट्रीकरण सं.(आवेदक के अधिवास के देश में विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया) और प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख [ता/मा/वर्ष]		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
5	बीमा कारबार की वर्तमान श्रृंखला क.यथास्थिति, बीमा या पुनर्बीमा कारबार की		

	श्रृंखला ख.प्रचालन के देश		
6	प्राधिकृत पूंजी, अभिदत्त पूंजी, निर्गम पूंजी की रकम और शेयरों का अंकित मूल्य और उनकी संख्या		
7	प्रस्तावित आई.आई.ओ. के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे		आई.आई.ओ. के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नियुक्त करने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रति दें
8	ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आवेदक के स्वामित्वाधीन शुद्ध निधियां (रकम करोड़ रुपयों में विनिर्दिष्ट की जाए. मुद्रा संपरिवर्तन आवेदन के समय विद्यमान दर पर किया जाएगा)		
9	अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रख्यात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ओर से पिछले तीन वर्ष के लिए क्रेडिट रेटिंग(न्यूनतम 'बीबीबी' या उसके समतुल्य)	पूर्ववर्ती वर्ष 1: रेटिंग एजेंसी: पूर्ववर्ती वर्ष 2: रेटिंग एजेंसी: पूर्ववर्ती वर्ष 3: रेटिंग एजेंसी:	रेटिंग एजेंसी से प्राप्त संसूचना
10	बोर्ड के संकल्प आई.आई.ओ. स्थापित करने की प्रतिबद्धता के समर्थन में आवेदक के बोर्ड के संकल्प की प्रति दें		उपाबंध-
11	भारत में विनियमनकारी अनुमोदन क.एस.ई.ज़ैड में कार्यालय खोलने/ कारबार करने के लिए समुचित प्राधिकारी से अनुमोदन के प्रमाणपत्र दे। ख.स्थायी लेखा संख्यांक(यदि आयकर प्राधिकारियों द्वारा आबंटित किया गया है)		उपाबंध-
12	सी.ए./सी.एस. से प्रमाणपत्र भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या भारत में व्यवसायरत किसी कंपनी सचिव से यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र दें कि आवेदक द्वारा आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम और अधिनियम की धारा 2गक के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।		उपाबंध-

13	वार्षिक रिपोर्टें पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें		उपाबंध-				
14	कार्यालय का ब्यौरा, जो खोला जाना प्रस्तावित है:	(क).कार्यालय का नाम: (ख).कार्यालय पता (यदि आई. आई.ओ. का कार्यालय पता उपलब्ध नहीं है तो प्रतिनिधि का पता या कंपनी का पता): (ग).पत्र-व्यवहार के लिए पता (प्रधान अधिकारी का नाम, टेलीफोन नं.,फैक्स नं.,मोबाइल नं.,ईमेल पता और ऐसे अन्य ब्यौरे दें) (घ)प्रधान अधिकारी और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उत्तरदायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित) (ङ).संगठनात्मक ढांचा: आई.आई. ओ. का बीमाकर्ता से रिपोर्टिंग संबंध च.प्रस्तावित कार्यालय में योजनाबद्ध अवसंरचना					
15	फीस का संदाय करने के ब्यौरे						
16	समनुदेशित पूंजी की रकम और वह प्ररूप जिसमें यह रखी जा रही है। कृपया "समनुदेशित पूंजी" की अपेक्षाओं के पूरा करने के लिए निधियों के स्रोत उपदर्शित करें						
17	पूर्ववर्ती आवेदन की विशिष्टियां: क्या आवेदक ने इससे पूर्व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बीमा कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो विशिष्टियां दें						
18. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शेयरधारकों के ब्यौरे:[कृपया बीमाकर्ता का पूरा नाम, पता, समादत्त पूंजी में धृति की प्रतिशतता, आजीविका, अर्हताएं और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूंजी की प्रतिशतता दें] कृपया पृथक् शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो। उन व्यक्तियों के ब्यौरे पृथक् शीट में दिए जाने हैं, जो आवेदक और संप्रवर्तकों की निर्गम पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक धारण किए हुए हैं।							
पूरा नाम [प्रथम, मध्य, उपनाम]/कारपोरेट का नाम	जन्म की तारीख/निगमन की तारीख	टेलीफोन नं.,फैक्स नं.,ईमेल सहित पता	अर्हताएं*	अनुभव*	वर्तमान व्यवसाय*	साधारण शेयरों की संख्या(मतदान अधिकार) और कुल धृति की प्रतिशतता	टिप्पणियां

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

*स्तंभ 4 से स्तंभ 6 तक कारपोरेट शेयरधारकों के लिए खाली छोड़े जा सकेंगे

अनुभाग ख: अपने देश में विनियमनकारी अनुपालन

19	अधिवास के देश में, जहां आवेदक रजिस्ट्रीकृत है, विनियामक प्राधिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे		
20	<p>विनियामक संरचना</p> <p>उस विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण की, जहां आवेदक रजिस्ट्रीकृत/अनुज्ञप्त है, विनियामक संरचना के संबंध में एक टिप्पण दें जिसमें निम्नलिखित से संबंधित उपबंध हों -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उत्पाद 2. बाजार संचालन 3. लेखाकरण 4. आस्ति मूल्यांकन 5. दायित्व मूल्यांकन 6. शोधन-क्षमता 7. ई.आर.एम. 8. उपयुक्त और उचित मानदंड 9. अन्य अधिकार-क्षेत्रों में स्थापित सहायक कंपनियों और विदेशी शाखाओं के पर्यवेक्षण के संबंध में ढांचा 		लेखाकरण, शोधन-क्षमता और अन्य रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के क्षेत्रों में विनियामक संरचना के सार सहित एक उपाबंध दें -
21	<p>प्राधिकार प्रमाणपत्र</p> <p>आई.आई.ओ. स्थापित करने के लिए निगमन के देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया प्राधिकार प्रमाणपत्र दें।</p>		उपाबंध-
22	अधिवास के देश में के विनियामक द्वारा विहित न्यूनतम शोधन-क्षमता मार्जिन		
23	आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए आवेदक का शोधन-क्षमता मार्जिन		

अनुभाग ग: आई.आई.ओ. की कारबार रणनीति

24	पेश की जाने वाली पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार		उपाबंध-
	आवेदक पुनर्बीमा की व्यवस्थाओं के उन प्रकारों		

	के ब्यौरे दे सकेगा, जो वह भारतीय और अन्य बाजारों को देगा। कृपया आई.आई.ओ. में प्रस्तावित हामीदारी वाले कारबार की शृंखला और आई.आई.ओ. में प्रयोग की जाने वाली मूल कंपनी की स्टॉप के संबंध में एक टिप्पण भी शामिल करें		
25	हामीदारी इस अनुभाग में प्रस्ताव, आदि की हामीदारी के लिए प्रयोग की गई पद्धति का वर्णन किया जाना चाहिए। कृपया हामीदारी में और हामीदार के प्रशिक्षण में और प्रधान कार्यालय द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के कौशल के उन्नयन के लिए दी जाने वाली सहायता की प्रकृति का कथन करें।		उपाबंध-
26.	प्रतिधारण सीमाएं और पुनर्बीमा पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की प्रकृति का पूर्ण रूप से वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए गए हों: <ul style="list-style-type: none"> • पुनर्बीमा का आधार • पुनर्बीमा के निबंधन • प्रधान कार्यालय से पुनर्बीमा सहायता की रीति • प्रतिधारण सीमाएं—भारत में • भारत के भीतर पुनः पुनर्बीमा • प्रतिधारण सीमाएं-भारत के बाहर 		उपाबंध-
27	आंतरिक नियंत्रण कंपनी के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रक्रियाओं और मानकों का सैट स्थापित करना आवश्यक होगा। उस रीति का वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें इन्हें मानिटर किया जाएगा।		उपाबंध-
28	प्रशासन के व्यय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित व्यय		उपाबंध-
29	वित्तीय अनुमान आरंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए, प्रत्येक वर्ष की उपधारणाओं पर आधारित वित्तीय अनुमानों के लिए प्रयुक्त मॉडल का विवरण दिया जाना चाहिए। अगले प्रकोष्ठ में सूचीबद्ध प्रत्येक मद के सामने ब्यौरे दें (राशि यू.एस.डी. में होनी चाहिए)	क. कारबार की रकम ख. सहायक और प्रशासनिक स्टाफ का आकार ग. प्रीमियम आय घ. निवेश से आय ड. कमीशन और अन्य	उपाबंध-

		<p>विक्रय से संबंधित व्यय</p> <p>च.प्रशासन के व्यय</p> <p>छ.कानूनी आरक्षितियां</p> <p>ज.अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन</p> <p>झ.लाभ और हानि लेखा और तुलन-पत्र</p> <p>(ज)प्रथम वर्ष और नवीकरण व्यय अनुपात</p> <p>(ट)पूजीगत आवश्यकताएं</p> <p>(ठ)हानि-रहित अवधि और पूजी पर लाभ</p> <p>(ड)समूह कंपनियों को पुनः पुनर्बीमा</p> <p>(ढ) अन्यो को पुनः पुनर्बीमा</p> <p>इस अनुभाग में उस रीति की भी चर्चा की जानी चाहिए जिसमें भावी पूजीगत आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।</p>	
30	<p>निष्कर्ष</p> <p>अंततः, कृपया प्रचालनों की व्यवहार्यता की चर्चा करें। किसी विशेष मुद्दे या चिन्ता को भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।</p>		

प्रमाणन

मैं, अधोहस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि आवेदक कंपनी की ओर से इस आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्य सही हैं और यह कि अनुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत उपधारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(पदनाम और मुद्रा सहित)

- **अंग्रेज़ी अनुवाद:** यदि कोई दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में नहीं है तो प्रमाणित अंग्रेज़ी अनुवाद अपेक्षित है। अंग्रेज़ी अनुवाद, आवेदक के देश में बीमा पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा या किसी बाहरी विधिक काउन्सेल द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि होनी चाहिए।

प्ररूप – ग

किसी एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा आई.आई.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए संयुक्त आवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियां	आवेदक का प्रत्युत्तर	टिप्पणियां
अनुभाग क: कंपनी प्रोफाइल			
1	आवेदक-विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का नाम		
2	आवेदक का नाम-एम.जी.ए.		
3	विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता		
4	एम.जी.ए. के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता		
5	निगमन की तारीख (एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्) [ता/मा/वर्ष]		उपाबंध-निगमन प्रमाणपत्र/प्रसंविदा विलेख/अन्य विधिमान्य सबूत
6	रजिस्ट्रीकरण सं.(आवेदक के अधिवास के देश में विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया) और प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख [ता/मा/वर्ष] (एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)		उपाबंध- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
7	बीमा कारबार की वर्तमान शृंखला क. बीमा या पुनर्बीमा कारबार या दोनों की शृंखला ख. प्रचालन के देश		एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)
8	सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता/बीमाकर्ताओं या विदेशीपुनर्बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ताओं या दोनों की प्राधिकृत पूंजी, अभिदत्त पूंजी और निर्गम पूंजी की रकम और शेयरों का अंकित मूल्य और उनकी संख्या		(एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)
9.	1)आवेदन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति; और 2) प्रस्तावित आई.आई.ओ. के कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे		दोनों के समर्थन में बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति दें। (एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)
10	ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के स्वामित्वाधीन शुद्ध निधियां (रकम करोड़ रुपयों में विनिर्दिष्ट की जाए)। मुद्रा संपरिवर्तन आवेदन के समय विद्यमान दर पर किया जाएगा)		

11	अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रख्यात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ओर से विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की पिछले तीन वर्ष के लिए क्रेडिट रेटिंग(न्यूनतम 'बीबीबी' या उसके समतुल्य)	पूर्ववर्ती वर्ष 1: रेटिंग एजेंसी: पूर्ववर्ती वर्ष 2: रेटिंग एजेंसी: पूर्ववर्ती वर्ष 3: रेटिंग एजेंसी:	रेटिंग एजेंसी से प्राप्त संसूचना
12	बोर्ड के संकल्प आई.आई.ओ. स्थापित करने की प्रतिबद्धता के समर्थन में आवेदक के बोर्ड के संकल्प की प्रति दें। (सेवा कंपनी और विदेशी बीमाकर्ता/बीमाकर्ताओं या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ताओं या दोनों) विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा एम.जी.ए. को प्राधिकार प्रत्यायोजित करने के निबंधनों की या यथा-लागू बाध्यकारी करार/बंधक की प्रमाणित प्रति दें।		उपाबंध- (एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)
13	भारत में यथा-लागू विनियमनकारी अनुमोदन क.एस.ई.ज़ेड में कार्यालय खोलने/ कारबार करने के लिए समुचित प्राधिकारी से अनुमोदन प्रमाणपत्र दें। ख.स्थायी लेखा संख्यांक(यदि आयकर प्राधिकारियों द्वारा आबंटित किया गया है) ग. सेवा कर रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे (यदि आबंटित किया गया है)		उपाबंध
14	सी.ए./सी.एस. से प्रमाणपत्र भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या भारत में व्यवसायरत किसी कंपनी सचिव से यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र दें कि आवेदक द्वारा आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम और अधिनियम की धारा 2गक के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।		उपाबंध- (एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)
15	वार्षिक रिपोर्टें पिछले पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें		उपाबंध- (एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)
16	कार्यालय का ब्यौरा, जो खोला जाना प्रस्तावित है:	(क).कार्यालय का नाम: (ख).कार्यालय पता (यदि आई.आई.ओ. का कार्यालय पता उपलब्ध नहीं है तो प्रतिनिधि का	

		पता या कंपनी का पता): (ग).पत्र-व्यवहार के लिए पता (प्रधान अधिकारी का नाम, टेलीफोन नं.,फैक्स नं.,मोबाइल नं.,ईमेल पता और ऐसे अन्य ब्यौरे दें) (घ)प्रधान अधिकारी और अन्य पदाधिकारी और उत्तरदायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित) (ङ).संगठनात्मक ढांचा: आई.आई.ओ. का बीमाकर्ता से रिपोर्टिंग संबंध च.प्रस्तावित कार्यालय में योजनाबद्ध अवसंरचना					
17	फीस का संदाय करने के ब्यौरे						
18	समनुदेशित पूंजी की रकम और वह प्ररूप जिसमें यह रखी जाती है। कृपया "समनुदेशित पूंजी" की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निधियों के स्रोत उपदर्शित करें।						
19	पूर्ववर्ती आवेदन की विशिष्टियां: क्या आवेदक ने कभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बीमा कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो विशिष्टियां दें						
<p>20. शेयरधारकों के ब्यौरे(एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्, जैसा लागू हो):[कृपया बीमाकर्ता का पूरा नाम, पता, समादत्त पूंजी में धृति की प्रतिशतता, आजीविका, अर्हताएं और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूंजी की प्रतिशतता दें] कृपया पृथक् शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो। उन व्यक्तियों के ब्यौरे पृथक् शीट में दिए जाने हैं, जो आवेदक और संप्रवर्तकों की निर्गम पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक धारण किए हुए हैं।</p>							
पूरा नाम [प्रथम, मध्य, उपनाम]/कारपोरेट का नाम	जन्म की तारीख/निगमन की तारीख	टेलीफोन नं.,फैक्स नं.,ईमेल सहित पता	अर्हताएं*	अनुभव*	वर्तमान व्यवसाय*	साधारण शेयरों की संख्या(मतदान अधिकार) और कुल धृति की प्रतिशतता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							
*स्तंभ 4 से स्तंभ 6 तक कारपोरेट शेयरधारकों के लिए खाली छोड़े जा सकेंगे							

अनुभाग ख: अपने देश में विनियमनकारी अनुपालन

21	अधिवास के देश में, जहां आवेदक रजिस्ट्रीकृत है, विनियामक प्राधिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे		(एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)
22	विनियामक संरचना उस विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण की, जहां आवेदक रजिस्ट्रीकृत/अनुज्ञप्त है, विनियामक संरचना के संबंध में एक टिप्पण दें जिसमें निम्नलिखित से संबंधित उपबंध हों – 1. उत्पाद 2. बाजार संचालन 3. लेखाकरण 4. आस्ति मूल्यांकन 5. दायित्व मूल्यांकन 6. शोधन-क्षमता 7. ई.आर.एम. 8. उपयुक्त और उचित मानदंड 9. अन्य अधिकार-क्षेत्रों में स्थापित सहायक कंपनियों और विदेशी शाखाओं के पर्यवेक्षण के संबंध में ढांचा		
23	प्राधिकार प्रमाणपत्र आई.आई.ओ. स्थापित करने के लिए निगमन के देश के विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया प्राधिकार प्रमाणपत्र दें।		उपाबंध- (एम.जी.ए. और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए पृथक्-पृथक्)
24	अधिवास के देश में के विनियामक द्वारा विहित न्यूनतम शोधन-क्षमता मार्जिन		(सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए)
25	आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिए आवेदक का शोधन-क्षमता मार्जिन		(सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए)
अनुभाग ग: आई.आई.ओ. की कारबार रणनीति			
26	पेश की जाने वाली पुनर्बीमा या बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार आवेदक पुनर्बीमा की व्यवस्थाओं के उन प्रकारों के ब्यौरे दे सकेगा, जो वह भारतीय और अन्य बाजारों को देगा। कृपया आई.आई.ओ. में प्रस्तावित हामीदारी वाले कारबार की शृंखला और आई.आई.ओ. में प्रयोग की जाने वाली मूल कंपनी की स्टांप के संबंध में एक टिप्पण भी शामिल करें।		उपाबंध-
27	हामीदारी इस अनुभाग में प्रस्ताव, आदि की हामीदारी के लिए प्रयोग की गई पद्धति का वर्णन किया		उपाबंध-

	जाना चाहिए। कृपया हामीदारी में और हामीदार के प्रशिक्षण में और प्रधान कार्यालय द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के कौशल के उन्नयन के लिए दी जाने वाली सहायता की प्रकृति का कथन करें।		
28	<p>प्रतिधारण सीमाएं और पुनर्बीमा (जैसा लागू हो)</p> <p>पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की प्रकृति का पूर्ण रूप से वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए गए हों:</p> <ul style="list-style-type: none"> • पुनर्बीमा का आधार • पुनर्बीमा के निबंधन • प्रधान कार्यालय से पुनर्बीमा सहायता की रीति • प्रतिधारण सीमाएं— आई.एफ.एस.सी. में • आई.एफ.एस.सी. के भीतर पुनः पुनर्बीमा • प्रतिधारण सीमाएं-आई.एफ.एस.सी. के बाहर 		उपाबंध-
29	<p>आंतरिक नियंत्रण</p> <p>कंपनी के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रक्रियाओं और मानकों का सैट स्थापित करना आवश्यक होगा। उस रीति का वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें इन्हें मानिटर किया जाएगा।</p>		उपाबंध-
30	<p>प्रशासन के व्यय</p> <p>प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित व्यय</p>		उपाबंध-
31	<p>वित्तीय अनुमान</p> <p>आरंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए, प्रत्येक वर्ष की उपधारणाओं पर आधारित वित्तीय अनुमानों के लिए प्रयुक्त मॉडल का विवरण दिया जाना चाहिए। अगले प्रकोष्ठ में सूचीबद्ध प्रत्येक मद के सामने ब्यौरे दें (राशि यू.एस.डी. में होनी चाहिए)</p>	<p>क.कारबार की रकम</p> <p>ख.सहायक और प्रशासनिक स्टॉफ का आकार</p> <p>ग.प्रीमियम आय</p> <p>घ.निवेश से आय</p> <p>ड.कमीशन और अन्य विक्रय से संबंधित व्यय</p> <p>च.प्रशासन के व्यय</p> <p>छ.कानूनी आरक्षितियां</p> <p>ज.अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन</p> <p>झ.लाभ और हानि लेखा और तुलन-पत्र</p> <p>(ञ)प्रथम वर्ष और नवीकरण</p>	उपाबंध-

		व्यय अनुपात (ट)पूँजीगत आवश्यकताएं (ठ)हानि-रहित अवधि और पूँजी पर लाभ (ड)समूह कंपनियों को पुनः पुनर्बीमा (ढ) अन्यो को पुनः पुनर्बीमा इस अनुभाग में उस रीति की भी चर्चा की जानी चाहिए जिसमें भावी पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।	
32	निष्कर्ष अंततः, कृपया प्रचालनों की व्यवहार्यता की चर्चा करें। किसी विशेष मुद्दे या चिन्ता को भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।		

एम.जी.ए. और सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त घोषणा

हम, अधोहस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करते हैं कि आवेदकों की ओर से इस आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्य सत्य और सही हैं और यह कि अनुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत उपधारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

तारीख:

एम.जी.ए. का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम और कंपनी की मुद्रा)

स्थान:

तारीख:

विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का प्रतिनिधित्व
करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम और कंपनी की मुद्रा)

- **अंग्रेज़ी अनुवाद:** यदि कोई दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में नहीं है तो प्रमाणित अंग्रेज़ी अनुवाद अपेक्षित है। अंग्रेज़ी अनुवाद, आवेदक के देश में बीमा पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा या किसी बाहरी विधिक काउन्सेल द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि होनी चाहिए।

प्ररूप – घ

किसी पब्लिक कंपनी, बीमाकर्ता, या पुनर्बीमाकर्ता, बीमा सहकारी सोसाइटी, भारत के बाहर निगमित, निगमित निकाय द्वारा आई.आई.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

क्रम सं.	विशिष्टियां	आवेदक का प्रत्युत्तर	टिप्पणियां
अनुभाग क: कंपनी प्रोफाइल			
1	आवेदक का नाम		

2	उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता		
3	निगमन की तारीख [ता/मा/वर्ष]		
4	रजिस्ट्रीकरण सं. (कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी)		रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
5	उस बीमा कारबार के वर्ग बताएं जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है:		
6	प्राधिकृत पूंजी, अभिदत्त पूंजी, निर्गम पूंजी की रकम और शेयरों का अंकित मूल्य और उनकी संख्या		
7	समादत्त पूंजी की रकम और साधारण शेयरों की संख्या		
8	शेयरों का वर्गीकरण		
9	प्रत्येक वर्ग के शेयरधारकों के मतदान अधिकार		
10	शेयरधारकों के ब्यौरे		
11	प्रस्तावित आई.आई.ओ. के कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे		आई.आई.ओ. के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति करने वाले बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति दें

12) संप्रवर्तक

[कृपया बीमाकर्ता का पूरा नाम, पता, समादत्त पूंजी में धृति की प्रतिशतता, आजीविका, अर्हताएं और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूंजी की प्रतिशतता दें] कृपया पृथक् शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो। उन व्यक्तियों के ब्यौरे पृथक् शीट में दिए जाने हैं, जो आवेदक और संप्रवर्तकों की निर्गम पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक धारण किए हुए हैं।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, उपनाम]	जन्म की तारीख	टेलीफोन नं., फ़ैक्स नं., ईमेल सहित पता	अर्हता	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय*	साधारण शेयरों की संख्या(मतदान अधिकार) और कुल धृति की प्रतिशतता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पण: यदि संप्रवर्तक भारत में कोई कंपनी या निगमित निकाय है तो कंपनी या निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, निगमन का देश और रजिस्ट्रीकरण की तारीख स्तंभ (2) में, कंपनी के प्रचालन के क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ 4 और 6 को खाली छोड़ा जाए; प्रचालन के देश, कारबार का स्वरूप उपदर्शित करते हुए विशिष्टियां, कंपनी या निगमित निकाय की पिछले पांच वर्ष की लेखा

विवरणियां संलग्न करते हुए दी जानी है। यदि एक से अधिक संप्रवर्तक हैं तो कृपया जानकारी ऐसी रीति में दी जाए जिससे पक्षकारों का परस्पर संबंध, यदि कोई है, स्पष्ट रूप से उपदर्शित हो। यदि कोई संप्रवर्तक किसी अन्य का नामनिर्देशिती है तो उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रधान संप्रवर्तक के ब्यौरे दिए जाने हैं इस संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि ईमानदारी से संपूर्ण और पूरी जानकारी दी जाए। बाद में पाए जाने वाले किसी दुर्व्यपदेशन के परिणामस्वरूप आवेदक, उसके संप्रवर्तक और उससे संबद्ध अन्य व्यक्ति निरहित हो सकेंगे।

13) निवेशक:

[कृपया बीमाकर्ता का पूरा नाम, पता, समादत्त पूंजी में धृति की प्रतिशतता, आजीविका, अर्हताएं और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूंजी की प्रतिशतता दें] कृपया पृथक् शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो। उन व्यक्तियों के ब्यौरे पृथक् शीट में दिए जाने हैं, जो आवेदक और संप्रवर्तकों की निर्गम पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक धारण किए हुए हैं।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, उपनाम]	जन्म की तारीख	टेलीफोन नं., फ़ैक्स नं., ईमेल सहित पता	अर्हता	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय*	साधारण शेयरों की संख्या (मतदान अधिकार) और कुल धृति की प्रतिशतता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री/सुश्री							

टिप्पण: यदि निवेशक भारत में कोई कंपनी या निगमित निकाय है तो कंपनी या निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, निगमन का देश और रजिस्ट्रीकरण की तारीख स्तंभ (2) में, कंपनी के प्रचालन के क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ 4 और 6 को खाली छोड़ा जाए; प्रचालन के देश, कारबार का स्वरूप उपदर्शित करते हुए विशिष्टियां, कंपनी या निगमित निकाय की पिछले पांच वर्ष की लेखा विवरणियां संलग्न करते हुए दी जानी है। यदि एक से अधिक निवेशक हैं तो कृपया जानकारी ऐसी रीति में दी जाए जिससे पक्षकारों का परस्पर संबंध, यदि कोई है, स्पष्ट रूप से उपदर्शित हो। यदि कोई निवेशक किसी अन्य का नामनिर्देशिती है तो उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रधान निवेशक के ब्यौरे दिए जाने हैं इस संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि ईमानदारी से संपूर्ण और पूरी जानकारी दी जाए। बाद में पाए जाने वाले किसी दुर्व्यपदेशन के परिणामस्वरूप आवेदक, उसके संप्रवर्तक और उससे संबद्ध अन्य व्यक्ति निरहित हो सकेंगे।

यदि कुल अपेक्षित पूंजी अभी जारी नहीं की गई है तो शेयरों में प्रत्याशित अभिदाय के संबंध में जानकारी दें और क्या संभावी शेयरधारकों ने पूंजी में अभिदाय करने की कोई प्रतिबद्धता या आश्वासन दिया है।

यदि किसी भारतीय निवेशक की किन्हीं अन्य बीमाकर्ताओं में शेयरधृति है तो उसके संबंध में पृथक् ब्यौरे दिए जाने आवश्यक हैं।

14	आवेदक: इस अनुभाग में पृष्ठभूमिक जानकारी उपवर्णित की जानी चाहिए। निम्नलिखित जानकारी शामिल की जानी चाहिए:		
14(क)	संयुक्त उद्यम में भागीदारों की विशिष्टियां (उदाहरणार्थ, कंपनी का नाम, पता, निदेशकों के नाम, आदि)		
14(ख)	संप्रवर्तक कंपनियों का गठन -उन शेयरधारकों के ब्यौरे, जिनकी धृति समादत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक है।		
14(ग)	कारबार का स्वरूप, संप्रवर्तक कंपनियों के कारबार में कितने वर्षों से है		
14(घ)	निवेशकों का गठन -उन शेयरधारकों के ब्यौरे, जिनकी धृति समादत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक है		
14(ङ)	कारबार का स्वरूप, निवेशक कंपनियों के कारबार में कितने वर्षों से है		

14(च)	सुप्रवर्तक/निवेशक कंपनियों की बाबत विनियमनकारी मध्यक्षेपों/निर्बंधनात्मक निर्देशों का पिछला अभिलेख		
14(छ)	बीमा बाजार में प्रवेश करने के आवेदक के कारण		
14(ज)	पिछले पांच वर्षों की वित्तीय विवरणियां		
14(झ)	भागीदारों की संख्या		
14(ञ)	आवेदक द्वारा प्रदर्शित भारतीय बाजार स्थल की प्रतिबद्धता की डिग्री का संकेत		
14(ट)	कंपनी का संप्रवर्तन करने वाले शेयरधारकों के बीच करार		
14(ठ)	विदेशी निवेशकों द्वारा उठाई गई बाध्यताएं		
14(ड)	विदेशी निवेशकों के प्रति आवेदक कंपनी की बाध्यताएं		
14(ढ)	आरंभिक और भावी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के स्रोत		
14(ण)	गैर-कारपोरेट संप्रवर्तकों/निवेशकों की दशा में, उपर्युक्त तरीके से जानकारी, उपयुक्त रूप से उपांतरण के पश्चात् दी जाए।		

15)संप्रवर्तक

(भारतीय संप्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों, यदि कोई हैं, के लिए पृथक् विवरणियां दी जानी है)

संप्रवर्तकों और निवेशकों के ब्यौरे: [कृपया पूरा नाम, पता, समादत्त पूंजी में धृति की प्रतिशतता, व्यवसाय, अर्हताएं और अनुभव, कंपनी में शेयर पूंजी का संख्या और प्रतिशतता दें]

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, उपनाम]	जन्म की तारीख	टेलीफोन नं., फ़ैक्स नं., ईमेल सहित पता	अर्हता	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय*	साधारण शेयरों की संख्या (मतदान अधिकार) और कुल धृति की प्रतिशतता	टिप्पणियां	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
श्री/सुश्री								

यदि विदेशी निवेशक भारत में या किसी विदेशी देश में कोई कंपनी या निगमित निकाय है तो कंपनी या निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, रजिस्ट्रीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के प्रचालन के क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ 4 और 6 को खाली छोड़ा जाए। ऐसे विदेशी निवेशकों द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की विशिष्टियां उपर्युक्त प्रोफार्मा में दें; प्रचालन के देश, कारबार का स्वरूप उपदर्शित करते हुए विशिष्टियां, कंपनी या निगमित निकाय की पिछले पांच वर्ष की लेखा विवरणियां संलग्न करते हुए दी जानी चाहिए।

16	आवेदक कंपनी: इस अनुभाग में कंपनी के प्रमुख पहलु दिए जाने चाहिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे		
16(क)	आवेदक कंपनी का नाम		
16(ख)	रजिस्ट्रीकरण की तारीख [ता/मा/वर्ष] (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार)		

16(ग)	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
16(घ)	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता		
16(ङ)	प्रधान कार्यालय का पता		
16(च)	पत्र-व्यवहार के लिए पता (कंपनी सचिव का नाम, टेलीफोन नं., फैक्स नं., मोबाइल नं., ईमेल पता और ऐसे अन्य व्यौरों का कथन करें)		
16(छ)	भारतीय संप्रवर्तकों और विदेशी निवेशकों के प्रमुख पहलु (उदाहरणार्थ, उनकी अपनी-अपनी शेयर-धारिता, भूमिका और उत्तरदायित्व, निदेशक पद परस्पर-संबंध, आदि)		
16(ज)	निदेशक बोर्ड की विशिष्टियां		
16(झ)	प्रचालन अवस्था		
16(ञ)	शाखा अवस्थान(प्रस्तावित)		
16(ट)	कंपनी के मिशन का कथन		
16(ठ)	ज्येष्ठ प्रबंधतंत्र(प्रमुख व्यक्ति) और उत्तरदायित्वों की आबंटन (प्रस्तावित)		
16(ड)	संगठनात्मक ढांचा रिपोर्टिंग संबंध		
16(ढ)	प्रधान कार्यालय और प्रचालन यूनिटों के बीच उत्तरदायित्वों का आबंटन: [रजिस्ट्रीकृत कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की चार प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें]		
17	पूँजीगत ढांचा		
17(क)	प्राधिकृत पूँजी की रकम और शेयरों की संख्या		
17(ख)	शेयरों का वर्गीकरण		
17(ग)	निर्गम पूँजी की रकम और शेयरों की संख्या		
17(घ)	समादत्त पूँजी की रकम और शेयरों की संख्या		
17(ङ)	प्रत्येक वर्ग के शेयरों से संलग्न मतदान अधिकार		
17(च)	प्रत्येक साधारण शेयर/अन्य शेयर का नाममात्र/अंकित मूल्य		
18	निदेशक और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति: प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए प्रोफार्मा में विशिष्टियां दें:-		
18(क)	के.एम.पी. का नाम (और कोई पूर्ववर्ती नाम):		
18(ख)	वर्तमान आवासीय पता:		
18(ग)	वर्तमान टेलीफोन, फैक्स और ईमेल पता		
18(घ)	जन्म-तारीख और स्थान		
18(ङ)	राष्ट्रीयता(और कोई पूर्ववर्ती राष्ट्रीयता)		
18(च)	पासपोर्ट/पहचान कार्ड: i. सं.: ii. जारी करने की तारीख और स्थान:		

	iii. अवसान की तारीख: iv. जारी करने वाला प्राधिकारी:		
18(छ)	बैंक का नाम और पता		
18(ज)	शैक्षणिक अर्हता के ब्यौरे और तारीखें		
18(झ)	वृत्तिक अर्हता के ब्यौरे और तारीखें		
18(ञ)	अनुभव(पिछले पांच वर्ष का)		
18(ट)	(क) पूर्ववर्ती नियोजन के ब्यौरे पिछले पांच वर्षों में) (ख) यदि पूर्ववर्ती नियोजक किसी विनियामक निकाय द्वारा विनियमित था तो: i. पूर्ववर्ती नियोजक का नाम: ii. नियोजक के कारबार की प्रकृति: iii. नियोजक का पर्यवेक्षण करने वाले विनियामक निकाय का नाम: iv. अंतिम पदनाम(जिसमें कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी हैं): v. नियुक्ति की तारीख: vi. त्यागपत्र की तारीख:		
18(ठ)	प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति के, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान 2 प्रतिशत से अधिक साधारण शेयर धारण करने या निदेशक पद के रूप में अन्य कारबार संबंधी हितों का ब्यौरा		
18(ड)	के.एम.पी. का बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के संबद्ध पक्षकारों, यदि कोई हैं, के साथ संबंध: (क) बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के संबद्ध पक्षकारों में 2 प्रतिशत से अधिक कोई शेयर धारण करने या मतदान शक्तियों का ब्यौरा: (ख) बीमाकर्ता या बीमाकर्ता के संबद्ध पक्षकारों के साथ कारबार संबंधों का ब्यौरा: (ग) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों, पूर्ववर्ती नियोजकों और बीमाकर्ता या बीमाकर्ता के संबद्ध पक्षकारों के बीच किन्हीं कारबार संबंधों का ब्यौरा:		
18(ढ)	प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और चरित्र का पूरा ब्यौरा (क) क्या के.एम.पी. को कभी शोधन-अक्षम घोषित किया गया है (ख) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें कपट या अन्य प्रकार की बेइमानी अंतर्वलित हो, दोषसिद्धियों के ब्यौरे (ग) किसी कंपनी में निदेशक/प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति के रूप में कार्य करने संबंधी कोई निरर्हता (घ) क्या निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति को पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई विनियमित वित्तीय कारबार करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति या प्राधिकार से इनकार		

	किया गया है(या उसे प्रतिसंहत किया गया था)		
18(ण)	किसी सरकार, विनियामक या वृत्तिक निकाय द्वारा आरंभ की गई निन्दा या अनुशासनिक कार्रवाई के ब्यौरे		
18(त)	पूर्ववर्ती नियोजक द्वारा पद या नियोजन से हटाए जाने, अनुशासनिक कार्यवाहियों के अधीन रखे जाने या किसी व्यवसाय या नियोजन में प्रवेश करने से इनकार किए जाने के ब्यौरे		
18(थ)	प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति की किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, दोषसिद्धि, यदि कोई है, के ब्यौरे		
18(द)	क्या किसी सरकारी, विनियामक या वृत्तिक निकाय ने कभी ऐसे किसी नियोजक, कंपनी या संगठन का अन्वेषण किया है जिससे प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में सहयुक्त रहा हो?		
18(ध)	क्या कभी ऐसी कंपनी या संगठन का, जिसके साथ प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक के रूप में सहयुक्त था, जबकि या तो प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति उससे सहयुक्त था या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति के उससे सहयुक्त न रहने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर, समापन किया गया है, वह प्रापकता में थी या उसने व्यापार करना बन्द कर दिया था?		
18(न)	कृपया उल्लेख करें कि क्या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति भारत में या किसी विदेशी देश में किसी अन्य बीमा मध्यवर्ती या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता का कोई बीमा कारपोरेट अभिकर्ता, बीमा ब्रोकर का कर्मचारी, बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता निदेशक या कर्मचारी या भारत में या किसी विदेशी देश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक है?		
18(प)	क्या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति, बीमाकर्ता के पूर्णकालिक नियोजन में है? यदि नहीं, तो कृपया अन्य नियोजन/कार्य का पूरा ब्यौरा दें:		
18(फ)	क्या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति/अस्थायी नियुक्ति पर है? यदि हां, तो (क)मूल संगठन का पूरी विशिष्टियां दें: (ख)क्या मूल संगठन द्वारा कोई पारिश्रमिक, आदि संदत्त किया जाता है, यदि ऐसा है, तो पारिश्रमिक का संपूर्ण ब्यौरा:		
18(ब)	क्या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति बीमाकर्ता की किसी समूह कंपनी/सहयुक्त कंपनी या संप्रवर्तक भागीदार के पूर्णकालिक/अंशकालिक नियोजन में है?		

कृपया टिप्पणी के स्तंभ में, यह उल्लेख करें कि क्या कोई निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति भारत में या किसी विदेशी देश में किसी अन्य बीमा कंपनी(या पुनर्बीमाकर्ता) का कोई अभिकर्ता, ब्रोकर, मध्यवर्ती, निदेशक या कर्मचारी है या भारत में या किसी अन्य विदेशी देश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक है

19) बाहरी लेखापरीक्षक*(प्रस्तावित)

पूरा नाम [प्रथम, मध्य, उपनाम]	जन्म की तारीख	टेलीफोन नं., फैक्स नं., ईमेल सहित पता	नियुक्ति की तारीख	बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षा करने का अनुभव	नियुक्ति की अवधि	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

यदि लेखापरीक्षक एक फर्म है तो फर्म का नाम स्तंभ (1) में, उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख स्तंभ(2) में लिखें।

*किसी भी लेखापरीक्षक को तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 में कथित मानदंडों के पूरा नहीं करता है।

20	वह कारबार, जिसमें संव्यवहार किया जाना है		
20(क)	वैश्विक भौगोलिक स्थिति जिसमें आप बीमा कारबार करना चाहते हैं		
20(ख)	वितरण चैनल: जैसे प्रत्यक्ष, ब्रोकर्स, कारपोरेट अभिकर्ता, ऑनलाइन विक्रय, अन्य(कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
21	संवेदनशीलता विश्लेषण ऊपर पैरा 19 में उपवर्णित विश्लेषण आधारीक परिदृश्य और कुछेक वैकल्पिक परिदृश्यों पर आधारित होगा। "आशावादी" और "निराशावादी" उपधारणाओं पर आधारित संवेदनशीलता विश्लेषण को भी शामिल किया जाना चाहिए। इनका संबंध इन उपधारणाओं से होगा, जैसे:		
21(क)	विक्रय का मात्रा		
21(ख)	विक्रय-बल का आकार		
21(ग)	विक्रय का औसत आकार		
21(घ)	मृत्यु/रुग्णता, पालिसी समाप्ति(जीवन) के स्तर		
21(ङ)	प्रशासनिक व्यय(जिसमें मुद्रास्फीति भी है)(जीवन)		
21(च)	भावी निवेश अवस्थाएं(जीवन)		

ऐसी रीति के संबंध में, जिसमें निराशावादी परिदृश्यों के परिणाम से निपटा जाएगा, विचार-विमर्श को भी शामिल किया जाना चाहिए।

22. पूर्ववर्ती आवेदन की विशिष्टियां:

क्या आवेदक ने कभी भारत में या भारत के बाहर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है? यदि ऐसा है तो

विशिष्टियां दें

23	वार्षिक रिपोर्टें पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्टें		उपाबंध-
24	खोले जाने के लिए प्रस्तावित कार्यालय का ब्यौरा	क.कार्यालय का नाम: ख.कार्यालय पता: ग.पत्र-व्यवहार के लिए पता (प्रधान अधिकारी का नाम, टेलीफोन नं.,फैक्स नं.,मोबाइल नं.,ईमेल पता और ऐसे अन्य ब्यौरे) घ.आई.आई.ओ. के लिए प्रधान अधिकारी और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उत्तरदायित्वों का आबंटन(प्रस्तावित) ङ.संगठनात्मक ढांचा आई.आई.ओ. का बीमाकर्ता से रिपोर्टिंग संबंध च.प्रस्तावित कार्यालय में योजनाबद्ध अवसंरचना	
25	फीस के संदाय के ब्यौरे		
26	आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए भारतीय बीमाकर्ता का शोधन-क्षमता मार्जिन		
अनुभाग ख: आई.आई.ओ. की कारबार रणनीति			
27	पेश की जाने वाली, यथास्थिति, बीमा या पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार आवेदक बीमा या पुनर्बीमा की व्यवस्थाओं के उन प्रकारों के ब्यौरे दे सकेगा, जो वह भारतीय और अन्य बाजारों को देगा		उपाबंध-
28	हामीदारी इस अनुभाग में प्रस्ताव, आदि की हामीदारी के लिए प्रयोग की गई पद्धति का वर्णन किया जाना चाहिए । कृपया हामीदारी में और हामीदार के प्रशिक्षण में और प्रधान कार्यालय द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के कौशल के उन्नयन के लिए दी जाने वाली सहायता की प्रकृति का कथन करें		उपाबंध-
29	भर्ती और प्रशिक्षण		उपाबंध-

	कंपनी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न कौशल वाले कार्मिकों की आवश्यकता होती है। कुछ विशेष तकनीकी कौशल के लिए विशेष ध्यान केन्द्रित की आवश्यकता होगी। कंपनी स्थानीय रूप से तकनीकी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए अपनी योजनाओं में एक विस्तृत लेख प्रस्तुत कर सकेगी		
30	आंतरिक नियंत्रण कंपनी के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रक्रियाओं और मानकों का सैट स्थापित करना आवश्यक होगा। उस रीति का वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें इन्हें मानिटर किया जाएगा।		उपाबंध-
31	प्रशासन के व्यय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित व्यय		उपाबंध-
32	तकनीकी कौशल उन लोगों का तकनीकी कौशल, जो आई.आई.ओ. में काम करेंगे और स्थानीय स्तर पर कौशल के उन्नयन के लिए जानकारी देने की योजना		उपाबंध-
33	वित्तीय अनुमान आरंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए, प्रत्येक वर्ष की उपधारणाओं पर आधारित वित्तीय अनुमानों के लिए प्रयुक्त मॉडल का विवरण दिया जाना चाहिए। अगले प्रकोष्ठ में सूचीबद्ध प्रत्येक मद के सामने व्यौरे दें (राशि यू.एस.डी. में होनी चाहिए)	क.कारबार की रकम ख.सहायक और प्रशासनिक स्टॉफ का आकार ग.प्रीमियम आय घ.निवेश से आय ङ.कमीशन और अन्य विक्रय से संबंधित व्यय च.प्रशासन के व्यय छ.कानूनी आरक्षितियां ज.अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन झ.लाभ और हानि लेखा और तुलन-पत्र ञ. प्रथम वर्ष और नवीकरण व्यय अनुपात ट.पूँजीगत आवश्यकताएं ठ.हानि-रहित अवधि और पूँजी पर लाभ ड.समूह कंपनियों के साथ पुनः पुनर्बीमा	उपाबंध-

		(ढ) अन्यों के साथ पुनः पुनर्बीमा इस अनुभाग में उस रीति की भी चर्चा की जानी चाहिए जिसमें भावी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।	
34	निष्कर्ष अंततः, कृपया प्रचालनों की व्यवहार्यता की चर्चा करें। किसी विशेष मुद्दे या चिन्ता को भी उपदर्शित किया जाना चाहिए।		

प्रमाणन

मैं, अधोहस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि आवेदक कंपनी की ओर से इस आवेदन-पत्र में दिए गए तथ्य सही हैं और यह कि अनुमान और प्राक्कलन युक्तिसंगत उपधारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(पदनाम और मुद्रा सहित)

- **स्पष्टीकरण:** जहां आवेदक पब्लिक कंपनी से भिन्न है वहां प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो, तो वैकल्पिक प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- **अंग्रेज़ी अनुवाद:** यदि कोई दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में नहीं है तो प्रमाणित अंग्रेज़ी अनुवाद अपेक्षित है। अंग्रेज़ी अनुवाद, आवेदक के देश में बीमा पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा या किसी बाहरी विधिक काउन्सेल द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि होनी चाहिए।

दूसरी अनुसूची

[विनियम 4 देखिए]

लॉयड्स और लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. के लिए लागू उपबंध

1. लॉयड्स और लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. के लिए लागू परिभाषाएं:

(क) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "प्रशासक" से "लॉयड्स के सदस्यों" के सिवाय, लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. अभिप्रेत है;

(ख) "बाध्यकारी प्राधिकार" से किसी सेवा कंपनी और कवरधारक के बीच ऐसा करार अभिप्रेत है, जिसके अधीन सेवा कंपनी कवरधारक को सिंडीकेट के सदस्यों की ओर से, जिनके लिए सेवा कंपनी एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है, बीमा संविदा करने के लिए प्राधिकृत करती है;

(ग) लॉयड्स के किसी सदस्य के संबंध में "प्रतिभूति की श्रृंखला" से लॉयड्स मैबरशिप बायलाज़ (2005 का 5) के पैराग्राफ 17 में यथा-परिभाषित सदस्य की प्रीमियम न्यास निधि, लॉयड्स की निधि, सदस्य की अन्य व्यक्तिगत धन-संपत्ति और न्यू सेंट्रल निधि अभिप्रेत है;

(घ) "कौंसिल ऑफ लॉयड्स" से यूनाइटेड किंगडम के लॉयड्स ऐक्ट, 1982 द्वारा स्थापित कौंसिल ऑफ लॉयड्स अभिप्रेत है;

(ङ) सेवा कंपनी के संबंध में "कवरधारक" से सेवा कंपनी द्वारा किसी बाध्यकारी प्राधिकार के अधीन किसी ऐसे सिंडीकेट के सदस्यों की ओर से बीमा संविदा करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है -

- (i) जिसके लिए सेवा कंपनी एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है; और
- (ii) जिसने सेवा कंपनी को उस व्यक्ति के साथ ऐसा बाध्यकारी प्राधिकार करने के लिए प्राधिकृत किया है;
- (च) प्रशासक या किसी सेवा कंपनी के संबंध में, 'प्रधान अधिकारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से वर्णित हो,

(i) जो -

क) यथास्थिति, प्रशासक या सेवा कंपनी के प्रत्यक्ष नियोजन में है;

ख) यथास्थिति, प्रशासक या सेवा कंपनी की ओर से कार्य कर रहा है; या

ग) यथास्थिति, प्रशासक या सेवा कंपनी के साथ प्रशासक या सेवा कंपनी की ओर से कार्य करने की व्यवस्था रखता है; और

(ii) जो यथास्थिति, प्रशासक या सेवा कंपनी के प्रबंधतंत्र से दैनिक आधार पर संबद्ध है या उसमें भाग लेता है;

(छ) 'प्रबंध अभिकर्ता' से अभिप्रेत है:

(i) ऐसा व्यक्ति, जो लॉयड्स अंडरराइटिंग बायलाज़ (2003 का 2) के अधीन रखे गए अंडरराइटिंग एजेंट्स के रजिस्टर पर प्रबंध अभिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध है; या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जिसे लॉयड्स अंडरराइटिंग बायलाज़ (2003 का 2) के भाग ट के अधीन अभिकर्ता के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(ज) 'लॉयड्स के सदस्य' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अंडरराइटिंग सदस्य के रूप में लॉयड्स की सदस्यता में प्रवेश दिया गया है, जो आई.एफ.एस.सी. में लॉयड्स में भागीदार बनना चाहता है;

(झ) 'लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनी' या 'सेवा कंपनी' से अभिप्रेत है:

i) लॉयड्स के प्रबंध अभिकर्ताओं द्वारा संप्रवर्तित सेवा कंपनियां

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा संप्रवर्तित और विनिर्दिष्ट मानदंड पूरा करने वाली सेवा कंपनियां;

(ञ) 'सिंडीकेट' से लॉयड्स में किसी प्रबंध अभिकर्ता की एजेंसी या ऐसे प्रतिस्थापित अभिकर्ता के माध्यम से, जिसे कौंसिल ऑफ लॉयड्स द्वारा एक सिंडीकेट संख्यांक समनुदेशित किया गया है, बीमा कारबार का निम्नांकन(हामीदारी) करने वाला कोई सदस्य या सदस्यों का समूह अभिप्रेत है।

(ट) 'लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. के सिंडीकेट' से लॉयड्स के ऐसे सिंडीकेट अभिप्रेत हैं जो लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. में किसी सेवा कंपनी या कवरधारक प्रत्यायोजित प्राधिकार व्यवस्था के माध्यम से भाग लेना चाहते हैं।

2. लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. के संघटकों में निम्नलिखित आते हैं:

(क) लॉयड्स के सदस्य,

(ख) सिंडीकेट

(ग) ऐसा सेवा कंपनियां, जो सिंडीकेटों की ओर से पुनर्बीमा कारबार का निम्नांकन करना चाहती हैं।

3. चूंकि लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. एक बाजार है इसलिए वह यह सुनिश्चित करेगा कि बाजार और संघटक, बीमा या पुनर्बीमा कारबार के संचालन के लिए लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. के कार्यालय अवस्थान के भीतर स्थित हों।

4. **बीमा या पुनर्बीमा कारबार में संव्यवहार करने की शर्तें:** लॉयड्स का कोई सदस्य लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. से तभी बीमा कारबार में संव्यवहार कर सकेगा यदि -

(1) सदस्य दूसरी अनुसूची के विनियम 5 के अनुसार प्रशासक के पास रजिस्टर करता है;

(2) सदस्य, लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. में सेवा कंपनी के माध्यम से बीमा कारबार करता है और बीमे की संविदाएं करता है;

(3) सदस्य, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए उसकी ओर से कार्य करने वाली सेवा कंपनी को आई.एफ.एस.सी. में बीमा कारबार करने की बाबत या उससे संसक्त नोटिस और विधिक आदेशिकाओं की, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा सदस्य को दिया गया

कोई नोटिस या निदेश भी है, तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(4) लॉयड्स ने प्राधिकरण को यह वचनबंध किया है कि इन विनियमों के अधीन सदस्य द्वारा जारी की गई किसी बीमा पालिसी के धारक को सुसंगत लॉयड्स न्यास विलेखों और लॉयड्स उप-विधियों, न्यास को शासित करने वाली शर्तों और अपेक्षाओं के अनुसार और उनके निबंधनों के अधीन प्रतिभूति-श्रृंखला की सहायता उस सीमा तक प्राप्त होगी जैसे कि लंदन में लॉयड्स के उसी सदस्य द्वारा जारी किसी साधारण कारबार पालिसी के धारक को प्राप्त होती है।

5. लॉयड्स के सदस्य:

(1) लॉयड्स का ऐसा कोई सदस्य, जो इन विनियमों के अधीन किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा कारबार में संव्यवहार करना चाहता है, प्रशासक के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा;

(2) उप-विनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो प्रशासक अवधारित करे;

(3) प्रशासक आवेदक को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि –

(क) आवेदक लॉयड्स का एक सदस्य है; और

(ख) आवेदक ने ऐसी एक या उससे अधिक सेवा कंपनियां नियुक्त की हैं, जिनके माध्यम से उसका किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा या पुनर्बीमा में संव्यवहार करने का आशय है।

(4) लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट प्ररूप में लॉयड्स के ऐसे सदस्यों के ब्यौरे सूचित करेगा, जो किसी आई.एफ.एस.सी. में भाग लेना चाहते हैं;

(5) लॉयड्स के ऐसे सदस्यों की सूची, जो लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनियों के माध्यम से निम्नांकन कर रहे हैं, प्राधिकरण के वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

6. लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनियां स्थापित करने के लिए मानदंड: लॉयड्स के ऐसे प्रबंध अभिकर्ता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी कंपनियां, जो लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. में भाग लेना चाहते हैं, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार एक सेवा कंपनी स्थापित करेंगे:

(1) सेवा कंपनी, भारत में कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी हो सकती है, जिसकी न्यूनतम समादत्त पूंजी पांच लाख आई.एन.आर. होगी;

(2) संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के मुख्य उद्देश्य उस सिंडीकेट(सिंडीकेटों) को, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, समस्त तकनीकी, निम्नांकन, बाध्यकारी जोखिम, दावों का परिनिर्धारण, प्रशासनिक, लेखाकरण, निवेश संबंधी, विनियमनकारी और अन्य सहायता प्रदान करना होगा;

(3) सेवा कंपनी उस सिंडीकेट की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, समस्त कानूनी और विनियमनकारी फाइलिंग और अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगी;

(4) ऐसी कोई अन्य अपेक्षा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

7. लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. में सेवा कंपनी का रजिस्ट्रीकरण:

(1) लॉयड्स के ऐसे प्रबंध अभिकर्ता, जो इन विनियमों के अधीन लॉयड्स के सदस्यों की ओर से एक सेवा कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, प्रशासक के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे;

(2) उप-विनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो प्रशासक अवधारित करे;

(3) प्रशासक, उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर –

(i) प्राधिकरण को ऐसे आवेदन की प्राप्ति के बारे में लिखित में सूचित करेगा और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदक की विशिष्टियां और ऐसी अन्य जानकारी, जो प्राधिकरण अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा; और

(ii) आवेदक को रजिस्टर करेगा जब तक कि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आक्षेप नहीं करता।

(4) सेवा कंपनी ऐसे सिंडीकेट को उपदर्शित करेगी जिसका वह लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. में प्रतिनिधित्व करती है;

8. सेवा कंपनी द्वारा लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. को प्रस्तुत किया जाने वाला वचनबंध:

(1) सेवा कंपनी लॉयड्स सेवा कंपनी कवरधारक वचनबंध प्रस्तुत करेगी, जिसके द्वारा सेवा कंपनी, लॉयड्स और स्थानीय विधिक, आर्थिक, कराधान और विनायमक प्राधिकारियों के समस्त सुसंगत नियमों और अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए करार करती है;

(2) सेवा कंपनी लॉयड्स कवरधारक विनिश्चय पत्र भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रस्तावित सेवा कंपनी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

- (क) सेवा कंपनी को प्रदान किए गए निम्नांकन और दावों के प्राधिकार का स्तर,
- (ख) सेवा कंपनी की कारबार संबंधी रणनीति,
- (ग) सेवा कंपनी में प्रचालन करने वाले प्रधान स्टॉफ से संबंधित ब्यौरे,
- (घ) वित्तीय जानकारी,
- (ङ) वृत्तिक क्षतिपूर्ति ब्यौरे,
- (च) सेवा कंपनी द्वारा निम्नांकन किए जाने वाले कारबार के वर्ग,
- (छ) वह मार्ग, जो सेवा कंपनी रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाएगी,
- (ज) प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, लॉयड्स द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाएं।

(3) सेवा कंपनी, विनिश्चय पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, लॉयड्स न्यूनतम मानकों के मुकाबले, जिसके अंतर्गत ऐसी जानकारी भी शामिल है जैसे कि सेवा कंपनी की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है अथवा नहीं, लॉयड्स सेवा कंपनी स्व-निर्धारण करेगी;

(4) ऐसी कोई अन्य अपेक्षा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

9. लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनियों को शासित करने वाली शर्तें:

(1) लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनियां, यथास्थिति, लॉयड्स या लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगी;

(2) सेवा कंपनियां सेवा कंपनी निम्नांकन करार करेंगी, जो कि एक ऐसी संविदा है जो सुसंगत सिंडीकेट के सदस्यों से सेवा कंपनी के प्राधिकार प्रत्यायोजित करती है;

(3) सेवा कंपनी निम्नांकन करार के अधीन लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. की सेवा कंपनी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी –

(क) लॉयड्स के सदस्यों की ओर से वाध्यकारी बीमा और उनमें संशोधन;

(ख) बीमाकृत, पुनर्बीमाकृत से प्रीमियम प्राप्त करने और प्रतिदायों का परिनिर्धारण करने और बीमाकृत, पुनर्बीमाकृत को आगे पारेषण से पूर्व दावा-धनराशि प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ लॉयड्स के सदस्यों की ओर से कार्य करना;

(ग) व्ययों का प्रबंधन और नियंत्रण;

(घ) निम्नांकन स्टॉफ का नियोजन;

(ङ) ऐसा कोई अन्य कार्य, जो प्रबंध अभिकर्ता द्वारा पुनर्बीमा का कारबार किसी दक्ष रीति में करने के लिए उसे सौंपा जाए।

(4) सेवा कंपनी या सेवा कंपनी द्वारा प्राधिकृत कोई कवरधारक, निम्नलिखित वचनबंध करेगा –

(क) बीमा की संविदाएं, पृष्ठांकन साक्ष्यित करने वाले दस्तावेज़ और कवर को साक्ष्यित करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज़ जारी करना, जैसा कि हामीदार द्वारा लिखित में करार किया जाए;

(ख) प्रीमियमों का संग्रहण और प्रक्रमण करना और निम्नांककों की ओर से प्रीमियम लौटाना;

(ग) दावों पर कार्यवाही करना और/या दावों का परिनिर्धारण करना, यदि प्राधिकृत हों;

(घ) उन सिंडीकेटों का नाम का, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रमुख रूप से प्रयोग करना और यह कि वे मात्र सिंडीकेट की हैसियत में निम्नांकन कर रहे हैं और स्वयं बीमाकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ङ) लॉयड्स आई.एफ.एस.सी. द्वारा अधिकथित शर्तों का अनुपालन करना;

(च) अधिनियम, विनियम, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करना;

(छ) ऐसी किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन करना, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए;

(5) सेवा कंपनी, इन विनियमों के अधीन किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा कारबार में संव्यवहार करने वाले लॉयड्स के संबंधित सदस्यों को दिए गए नोटिसों और विधिक आदेशिकाओं को स्वीकार करने और उनका उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी।

10. सेवा कंपनी के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण

(1) प्राधिकरण, उप-विनियम (2) में उपवर्णित किसी भी आधार पर प्रशासक को किसी सेवा कंपनी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का निदेश दे सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आधार ये हैं –

(क) यह कि सेवा कंपनी ने दूसरी अनुसूची के विनियम 7 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् 12 मास के भीतर कारबार आरंभ नहीं किया है;

(ख) यह कि सेवा कंपनी ने लॉयड्स के किसी सदस्य की ओर से किसी आई.एफ.एस.सी. में अभिकर्ता के रूप में कार्य करना बन्द कर दिया है;

(ग) यह कि प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि सेवा कंपनी किसी ऐसी बाध्यता को पूरा करने में असफल रही है, जिसके अध्यक्षीन वह इन विनियमों के आधार पर है;

(घ) यह कि सेवा कंपनी अपना कारबार ऐसी रीति में कर रही है जिससे उसका पालिसीधारकों या बीमा बाजार के हित में हानिकारक होना संभावित है;

(ङ) यह कि सेवा कंपनी ने बीमा अधिनियम, 1938 के किसी उपबंध का, उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम का या प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन दिए गए किसी निदेश का उल्लंघन किया है;

(च) यह कि सेवा कंपनी के किसी ऐसे अधिकारी को, जो प्रबंधकीय या कार्यपालक पद धारण किए हुए हैं, बीमा अधिनियम, 1938, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;

(छ) यह कि सेवा कंपनी ने, दूसरी अनुसूची के विनियम 7(1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन में मिथ्या, भ्रामक और गलत जानकारी प्रस्तुत की है या उसने तात्त्विक तथ्यों को छिपाया है या उन्हें प्रकट करने में असफल रही है।

तीसरी अनुसूची

[विनियम 4 देखिए]

एम.जी.ए. और सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए लागू उपबंध

1. किसी आई.एफ.एस.सी. में एम.जी.ए. स्थापित करने के लिए मानदंड: कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी कोई एम.जी.ए., जो किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा कारबार में संव्यवहार करने का इच्छुक है, निम्नलिखित मानदंडों के साथ एक कंपनी स्थापित करेगा:

(1) एम.जी.ए., भारत में कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी स्थापित कर सकती है, जिसकी न्यूनतम समादत्त पूंजी पांच लाख आई.एन.आर. होगी;

(2) संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के मुख्य उद्देश्य उस विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, समस्त तकनीकी, निम्नांकन, बाध्यकारी जोखिम, दावों का परिनिर्धारण, प्रशासनिक, लेखाकरण, निवेश संबंधी, विनियमनकारी और अन्य सहायता प्रदान करना होगा;

(3) एम.जी.ए. उस विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समस्त कानूनी और विनियमनकारी फाइलिंग और अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगा;

(4) ऐसी कोई अन्य अपेक्षा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

2. बीमा या पुनर्बीमा कारबार में संव्यवहार करने के संबंध में शर्तें:

(1) कोई एम.जी.ए. किसी आई.एफ.एस.सी. से बीमा कारबार में संव्यवहार तभी कर सकेगा, यदि –

(क) सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता किसी एम.जी.ए. के माध्यम से बीमा कारबार करता है और किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा की संविदाएं करता है;

(ख) विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए उसकी ओर से कार्य करने वाले एम.जी.ए. को किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा कारबार करने की बाबत या उससे संसक्त नोटिस और विधिक आदेशिकाओं की, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा ऐसे विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को दिया गया कोई नोटिस या निदेश भी है, तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(ग) ऐसे विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता ने प्राधिकरण को यह वचनबंध किया है कि वह किसी आई.एफ.एस.सी. में उसकी ओर से बीमा या पुनर्बीमा का निम्नांकन करने वाले एम.जी.ए. के विरुद्ध दावों की पूर्ति करेगा।

(2) एम.जी.ए. एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा जिसके द्वारा वह किसी आई.एफ.एस.सी. में सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की ओर से कार्य करने के लिए उसके सभी सुसंगत नियमों और अपेक्षाओं का अनुपालन करने और स्थानीय विधिक, आर्थिक, कराधान और विनियामक प्राधिकारियों का अनुपालन करने का करार करता है;

(3) एम.जी.ए. बाध्यकारी करार की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रस्तावित एम.जी.ए. के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल है किन्तु यहां तक सीमित नहीं हैं:

- (क) एम.जी.ए. को प्रदान किए गए निम्नांकन और दावों के प्राधिकार का स्तर,
- (ख) एम.जी.ए. की कारबार संबंधी रणनीति,
- (ग) एम.जी.ए. में प्रचालन करने वाले प्रधान स्टाफ से संबंधित ब्यौरे,
- (घ) वित्तीय जानकारी,
- (ङ) वृत्तिक क्षतिपूर्ति ब्यौरे,
- (च) एम.जी.ए. द्वारा निम्नांकन किए जाने वाले कारबार के वर्ग,
- (छ) वह मार्ग, जो एम.जी.ए. रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाएगा,
- (ज) अन्य अपेक्षाएं, जो सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) बाध्यकारी करार के अधीन एम.जी.ए. निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

- (क) विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की ओर से बाध्यकारी बीमा और उनमें संशोधन;
- (ख) बीमाकृत, पुनर्बीमाकृत से प्रीमियम प्राप्त करने और प्रतिदायों का परिनिर्धारण करने और बीमाकृत, पुनर्बीमाकृत को आगे पारिषण से पूर्व दावा-धनराशि प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की ओर से कार्य करना;
- (ग) व्ययों का प्रबंधन और नियंत्रण;
- (घ) निम्नांकक स्टाफ का नियोजन;
- (ङ) ऐसा कोई अन्य कार्य, जो विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमा का कारबार किसी दक्ष रीति में करने के लिए उसे सौंपा जाए।

(5) एम.जी.ए. निम्नलिखित वचनबंध करेगा -

(क) बीमा की संविदाएं, पृष्ठांकन साक्षियत करने वाले दस्तावेज़ और कवर को साक्षियत करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज़ जारी करना, जैसा कि विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा लिखित में करार किया जाए;

(ख) प्रीमियमों का संग्रहण और प्रक्रमण करना और विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की ओर से प्रीमियम लौटाना;

(ग) दावों पर कार्यवाही करना और/या दावों का परिनिर्धारण करना, यदि प्राधिकृत हों;

(घ) उस विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के नाम का, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, प्रमुख रूप से प्रयोग करना और यह कि एम.जी.ए. मात्र ऐसे विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की हैसियत में निम्नांकन कर रहा है और स्वयं बीमाकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर रहा है;

(ङ) अधिनियम, नियम, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करना;

(च) एम.जी.ए., इन विनियमों के अधीन किसी आई.एफ.एस.सी. में बीमा कारबार में संव्यवहार करने वाले संबंधित विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को दिए गए नोटिसों और विधिक आदेशिकाओं को स्वीकार करने और उनका उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) ऐसी कोई अन्य अपेक्षा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

चौथी अनुसूची

[विनियम 7 देखिए]

प्ररूप क

भारतीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....

प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) की धारा 3 की उपधारा 2(क) के साथ पठित आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम, 2019 की धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (इकाई का नाम और पता) को नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कारबार वर्ग(वर्गों) में संव्यवहार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, बीमा अधिनियम, 1938 और आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 के उपबंधों के अध्याधीन है।

प्राधिकरण की मुद्रा के अधीन तारीख..... दो हज़ार और..... के दिया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

(प्राधिकरण की मोहर)

कारबार के वर्ग, जिनमें संव्यवहार किया जा सकेगा:-

1.....

2.....

3.....

प्ररूप ख

एम.जी.ए. और सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के लिए संयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

भारतीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

संयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....

प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) की धारा 3 की उपधारा 2(क) के साथ पठित आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम, 2019 की धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कारबार वर्ग(वर्गों) में संव्यवहार करने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है:

(एम.जी.ए. का नाम और पता) के साथ-साथ (सुसंगत विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी बीमाकर्ता का नाम और पता) जो उसके एम.जी.ए. के रूप में कार्य करेगा।

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, बीमा अधिनियम, 1938 और आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 के उपबंधों के अध्याधीन है।

प्राधिकरण की मुद्रा के अधीन तारीख..... दो हजार और..... के दिया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण
(प्राधिकरण की मोहर)

कारबार के वर्ग, जिनमें संव्यवहार किया जा सकेगा:-

- 1.....
- 2.....
- 3.....

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./344/2021-22]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 18th October, 2021

International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021

F. No. IFSCA/2021-22/GN/REG016.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following Regulations namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These Regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective: These Regulations aim to put in place the process of registration and operations of insurer and Re-insurer in an International Financial Services Centre under regulatory purview of The International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).

3. Definitions –

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires-
 - (a) ‘Act’ means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) ‘Applicant’ means -
 - (i) an ‘insurer’ registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India under section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938),
 - (ii) a Foreign Insurer or Foreign Re-insurer;
 - (iii) a Society of Lloyd’s on behalf of Members of Lloyd’s;
 - (iv) a ‘Branch Office of foreign insurer’ or ‘Lloyd’s India’ registered by the IRDAI;
 - (v) a public company or a wholly owned subsidiary of an insurer or a Re-insurer which is formed and registered under the Companies Act, 2013;
 - (vi) an insurance co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies or under the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984);

- (vii) a body corporate incorporated under the law of any country outside India not being of the nature of a private company; or
- (viii) a Managing General Agent who has a valid binding agreement with a Foreign Insurer or Foreign Re-insurer.
- (c) **‘Authority’** means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
- (d) **‘binding agreement’** means an agreement between an MGA and a foreign insurer or foreign re-insurer, under which a foreign insurer or foreign re-insurer authorises an MGA to act as an agent and to enter into a contract of insurance on its behalf;
- (e) **‘Board of the Applicant’** for the purposes of these Regulations means a ‘Board’ as defined under the Companies Act, 2013 or a body discharging equivalent functions, by whatever name called;
- (f) **‘Certificate’** means a Certificate of Registration granted by the Authority under these Regulations;
- (g) **‘Domestic Tariff Area’** or **‘DTA’** means the whole of India (including the territorial waters and continental shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones;
- (h) **‘Foreign Insurer or Foreign Re-insurer’** means a body corporate incorporated under the law of any country outside India and duly registered with its home country regulatory or supervisory authority for transacting insurance or re-insurance business, or both;
- (i) **‘Indian Insurer’** for the purpose of these Regulations means an insurer defined under section 2 (9) (a), (b) and (c) of the Insurance Act, 1938;
- (j) **‘International Financial Services Centre’** or **‘IFSC’** shall have the same meaning as assigned to it under section clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (k) **‘International Financial Service Centre Insurance Office’** or **‘IIO’** means a financial institution under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Act that is registered with the Authority to undertake permissible activities under these Regulations;
- (l) **‘INR’** means the Indian currency called Indian Rupee;
- (m) **‘IRDAI’** means The Insurance Regulatory and Development Authority of India constituted under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- (n) **‘Lloyd’s’** means the society of underwriters known in the United Kingdom as Lloyd’s and incorporated by the Lloyd’s Act 1871 of the United Kingdom;
- (o) **‘Lloyd’s IFSC’** means the branch office of the Lloyd’s granted certificate of registration by the Authority under these Regulations to transact insurance or re-insurance business;
- (p) **‘Managing General Agent’** or **‘MGA’** means: -
- (i) a body corporate incorporated outside India that is authorized to undertake insurance or re-insurance or both pursuant to a binding agreement with a Foreign Insurer or Foreign Re-insurer; or
- (ii) a company incorporated under the Companies Act, 2013 that is authorized to undertake business of insurance or re-insurance or both pursuant to a binding agreement with a Foreign Insurer or Foreign Re-insurer.
- (q) **‘Parent Entity’** or **‘Head Office’** means the Applicant as defined under clause (b) of this sub-regulation or such other affiliate of the Applicant that has been designated as ‘Head Office’, with the approval of the Authority;
- (r) **‘Private company’** and **‘public company’** have the meanings respectively assigned to them in clause (68) and clause (71) of Sec. 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (s) **‘Net Owned Fund’** or **‘NOF’** means the sum of paid-up equity capital, free reserves and securities premium account reduced by accumulated losses and book value of intangible assets;

Explanation: *NOF should be computed based on last audited Balance Sheet. Any capital raised after date of the Balance Sheet, should not be accounted for calculating NOF;*

- (t) **‘Regulations’** means International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021; and
- (u) **‘USD’** means United States Dollar.
- (2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

SETTING UP OF A IFSC INSURANCE OFFICE

4. Registration -

- (1) No person shall commence the business of insurance or re-insurance in an IFSC without obtaining registration from the Authority in accordance with these Regulations;
- (2) An Applicant including Lloyd’s seeking registration shall make application in the forms as specified in FIRST SCHEDULE of these Regulations and in the manner as specified by the Authority.

Explanation:

- (i) The provisions related to Lloyd’s, Lloyd’s IFSC and registration of Service Company of Lloyd’s IFSC are specified at SECOND SCHEDULE of these Regulations;
- (ii) The provisions related to MGA and relevant Foreign insurer or Foreign re-insurer and its registration are specified at THIRD SCHEDULE of these Regulations.

5. Eligibility Conditions for Registration:

- (1) An Indian insurer or re-insurer, as the case may be, desirous of setting up a place of business in an unincorporated form in an IFSC, shall meet with the following requirements -
- (a) the Applicant is duly registered with IRDAI for undertaking the business of insurance or re-insurance in India;
 - (b) The Applicant has been granted a No Objection Certificate by the IRDAI to set up place of business in an IFSC.
 - (c) the Board of the Applicant shall submit reporting structure of the officials as mentioned at sub-regulation (7) of regulation 17 of these Regulations;
 - (d) The Applicant has satisfactory track record in respect of regulatory and supervisory compliance;
 - (e) the Board of the Applicant undertakes to meet all liabilities arising out of IIOs insurance or re-insurance business, as the case may be;
 - (f) The Board of the Applicant undertakes to comply with the assigned capital, solvency and other requirements as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) A foreign insurer or foreign re-insurer or MGA or Lloyd’s, as the case may be, desirous of setting up branch in an unincorporated form in an IFSC, shall meet with the following requirements -
- (a) the Applicant is registered or licensed for transacting insurance or re-insurance business, or both, in its home country or country of its incorporation or domicile;
 - (b) the Applicant has been granted No Objection Certificate by the regulatory or supervisory authority of its home country or country of its incorporation or domicile, to set up an IIO in an IFSC;
 - (c) the Applicant desirous to transact re-insurance business, shall comply with Net Owned Fund requirement specified under sub-section (3) of section 6 of the Insurance Act, 1938;
 - (d) the Board of the Applicant undertakes to comply with the assigned capital, solvency and other requirements as may be specified by the Authority from time to time;
 - (e) the Board of the Applicant undertakes to meet all liabilities arising out of IIO insurance or re-insurance business, as the case may be;

- (f) the Applicant has satisfactory track record in respect of regulatory or supervisory compliance in its home country or country of incorporation or domicile and also in any other country in which it is functioning;
- (g) the Applicant is registered or certified in a national regulatory environment with whom the Government of India has signed Double Taxation Avoidance Agreement;
- (h) the Board of the Applicant shall submit reporting structure of the officials as mentioned at sub-regulation (7) of regulation 17 of these Regulations;
- (i) the Applicant has a minimum credit rating having at least good financial security characteristics from any of the internationally renowned credit rating agencies for the last three years.
- (j) the Applicant shall submit all the details and information as may be required and shall comply with any additional requirements as may be specified by the Authority.

Explanation: In case where the Applicant is an MGA and the relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer, the Authority may advise, to comply with applicable requirements.

- (3) '*Branch Office of foreign insurer*' or '*Lloyd's India*' registered by the IRDAI and desirous of setting up an office in an unincorporated form in an IFSC, shall meet with the following requirements:-
 - (a) the Applicant of the '*Branch Office of foreign insurer*' or '*Lloyd's India*' has been granted No Objection Certificate by the regulatory or supervisory authority of its country of incorporation, to set up an IIO in India;
 - (b) the Board of the Applicant of the '*Branch Office of foreign insurer*' or '*Lloyd's India*' shall undertake to comply with the assigned capital, solvency and other requirements as may be specified by the Authority from time to time;
 - (c) the Board of the Applicant of the '*Branch Office of foreign insurer*' or '*Lloyd's India*' undertakes to meet all liabilities arising out of business undertaken by the IIO;
 - (d) the Board of the Applicant of the '*Branch Office of foreign insurer*' or '*Lloyd's India*' shall submit to the Authority reporting structure of the officials as mentioned at sub-regulation (7) of regulation 17 of these Regulations;
 - (e) the Applicant shall submit all the details and information as may be required and shall comply with additional conditions as may be specified by the Authority.
- (4) A public company or a wholly owned subsidiary of an insurer or a re-insurer, desirous of setting up an IIO in an IFSC, shall be a company limited by shares, which is formed and registered under the Companies Act, 2013;
- (5) An insurance co-operative society desirous of setting up an IIO in an IFSC shall be a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies or under the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984);
- (6) A Body corporate incorporated under the law of any country outside India, not being of the nature of a private company, desirous of setting up its place of business in an IFSC shall meet with the following requirements:
 - (a) it establishes its place of business in an IFSC, under the provisions of the Companies Act, 2013; and
 - (b) it is registered or certified in a national regulatory environment with whom the Government of India has signed Double Taxation Avoidance Agreement.
- (7) The Authority, before granting registration may satisfy itself that the Applicant, its Promoters, Principal Officer, Directors, Partners, Designated Partners or any other Key Managerial Personnel (KMPs) are fit and proper persons;
- (8) The Applicant entity and its promoters, partners or controlling shareholders shall be from a FATF compliant jurisdiction and comply with international standards set by the Financial Action Task Force to combat money laundering and terrorist financing.
- (9) Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Authority may, specify such additional eligibility conditions and may require additional details and information to be

submitted by a particular class of Applicants as it deems fit or may relax any of these eligibility conditions stated in these regulations, for reasons recorded in writing.

CHAPTER – III

PROCEDURE FOR REGISTRATION

6. An Applicant including Lloyd's seeking registration as an IIO may make an application in the relevant FORM as specified in the FIRST SCHEDULE of these Regulations;
7. (1) After considering the application the Authority, if satisfied may grant certificate of registration in the relevant FORM as specified at FOURTH SCHEDULE of these Regulations, to the Applicant subject to the conditions as specified under these Regulations or such other additional conditions as it may deem fit.
(2) The registration granted under sub-regulation (1) shall remain valid unless it is revoked or cancelled by the Authority .
8. If, after considering the application, the Authority is of the opinion that registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the Applicant giving it thirty days' time to rectify them.
9. If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may refuse to grant registration and shall communicate the same to the Applicant, giving reasons for such refusal.

Provided that no such refusal shall be made by the Authority without giving the Applicant an opportunity to make written submissions on the grounds on which the registration is proposed to be refused.

CHAPTER - IV

PERMISSIBLE ACTIVITIES

10. An IIO registered with the Authority may carry any of the following class of businesses as may be permitted by the Authority subject to such conditions as may be specified:-
(a) Life Insurance Business;
(b) General Insurance Business;
(c) Health Insurance Business; or
(d) Re-insurance Business.
Provided that the IIO registered as place of business of Indian Insurer or Branch Office of Foreign Insurer or Re-insurer shall be permitted to transact such class of business which is permitted to the Applicant by its home country regulatory or supervisory authority.
11. An IIO shall conduct its business in any freely convertible foreign currencies other than INR, with such persons, whether resident in India or otherwise, as may be permitted by the Authority.
12. An IIO shall not engage itself in any business other than for which the registration has been granted by the Authority.
13. An IIO registered to transact direct insurance business may be permitted to do so within the IFSC, from other SEZs and also from outside India.
14. The IIO registered to transact direct insurance business shall not write direct insurance business from the DTA except in accordance with Section 2CB of the Insurance Act, 1938.
15. In case of re-insurance business, the IIO -
(1) may accept re-insurance business from the cedents based in the IFSC, in relation to risk emanating from other SEZs and re-insurance business from outside India;
(2) may accept re-insurance business from the insurers operating in DTA in accordance with the order of preference for cession specified in the IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018.
16. An IIO may render such other insurance or re-insurance business related services as may be specified by the Authority;

Provided that the applicant shall obtain prior approval of the Authority for rendering of such services, subject to such conditions as may be specified.

CHAPTER – V

BASIC REGULATORY AND GOVERNANCE REQUIREMENTS

17. An IIO shall follow following basic regulatory requirements or such other requirements as may be specified by the Authority -

(1) Net Owned Funds (NOF):

- (i) an Applicant, being a foreign company engaged in re-insurance business through a branch established in an IFSC shall comply with Net Owned Funds requirement prescribed under sub-section (3) of section 6 of the Insurance Act, 1938;
- (ii) an Applicant may demonstrate compliance with NOF requirement in any freely convertible foreign currency; and
- (iii) The NOF shall be maintained by the Applicant at all times during the subsistence and validity of certificate.

Provided that where the Applicant is an MGA, the relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer shall comply with the NOF requirements;

Provided further that where the Applicant is other than public company, the NOF shall be as specified by the Authority.

- (2) **Assigned Capital:** An Indian Insurer desirous of setting up place of business, a Foreign Insurer, a Foreign Re-insurer or MGA or Lloyd's desirous of setting up branch office in an IFSC shall maintain a minimum assigned capital in any freely convertible foreign currency equivalent to USD 1.5 million:

Provided that -

- (a) The assigned capital shall be earmarked and held by the Applicant in the home country, country of its incorporation or domicile;
- (b) Such assigned capital shall be invested as per the requirements of its home country regulatory or supervisory authority; and
- (c) The assigned capital including additional assigned capital, if any, as mandated by the Authority, shall be maintained by the Applicant at all times during the subsistence and validity of registration of IIO.

Provided further that where the Applicant is an MGA, the relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer shall comply with the Assigned Capital requirements.

(3) Paid-up Equity Capital:

A Public Company, a Wholly Owned Subsidiary of an insurer or a re-insurer, an insurance co-operative society or a Body Corporate seeking registration from the Authority shall comply with paid-up equity capital requirements as prescribed under sub-section (1) of section 6 of the Insurance Act, 1938.

(4) Solvency Margin Requirement:

- (i) An Applicant registering an IIO as 'place of business' of Indian Insurer, 'branch office' of the foreign insurer, foreign re-insurance, MGA or Lloyd's shall maintain such solvency margin for its IIO, as stipulated by its home country regulatory or supervisory authority;

Provided that -

- (a) Such solvency margin may be maintained in the home country, country of its incorporation or domicile;
- (b) The assets backing such solvency margin shall be invested as per the requirements of its home country regulatory or supervisory authority;
- (c) The assets backing such solvency margin shall remain unencumbered at all times during the subsistence and validity of certificate; and
- (d) The IIO shall furnish a quarterly certificate issued by the Appointed Actuary of the Applicant, to the effect that assets, liabilities and solvency margin on behalf of IIO are being maintained at Head Office of the Applicant.

Provided further that where the Applicant is an MGA, the relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer shall comply with the Solvency Margin requirements.

- (ii) A public company, a wholly owned subsidiary of an insurer or a re-insurer, an insurance co-operative society or a body corporate registering an IIO in an IFSC shall maintain such solvency margin as may be specified by the Authority.
- (5) An IIO shall comply with provisions of the Act rules, regulations, circulars and guidelines issued thereunder.

(6) Commencement of Business Operations -

- (i) An IIO shall commence business, for which it has been registered, within twelve (12) months from the date of grant of Certificate of Registration by the Authority;

Provided that if an IIO is not able to commence business within the specified period of twelve (12) months, it can, before the time limit expires, but at least thirty days in advance, shall make an application, for extension of time, to the Chairperson of the Authority.

- (ii) On receipt of the application, the Chairperson of the Authority, shall examine it and communicate the decision thereon, in writing;

Provided that no extension of time shall be granted by the Chairperson of the Authority beyond eighteen (18) months from the date of grant of certificate of registration.

- (7) An Applicant desirous of setting up a place of business or branch as the case may be, including Applicant of Service Company of Lloyd's IFSC or MGA shall, with prior permission of the Authority, appoint a Principal Officer for the IIO or Service Company of Lloyd's IFSC, as the case may be, who shall be responsible for the day to day administration of the IIO as well as for its regulatory compliances -

- (i) An Applicant, other than Lloyd's, for its IIO shall appoint –

- (a) Principal Officer;
- (b) An Officer in-charge of underwriting of risk having relevant experience; and
- (c) An officer in-charge of finance and accounts having relevant experience.

- (ii) An Applicant of Lloyd's IFSC shall appoint –

- (a) Principal Officer, and
- (b) An officer in-charge of finance and accounts having relevant experience.

Provided that an officer in-charge of finance and accounts of Lloyd's IFSC shall also be responsible for finance and accounts related matters of Service Companies of Lloyd's IFSC;

- (iii) An Applicant of Service Company of Lloyd's IFSC shall appoint –

- (a) Principal Officer, and
- (b) An Officer in-charge of underwriting of risk having relevant experience.

- (iv) The above-mentioned officers shall –

- (i) be in direct employment of the IIO or the Service Company of Lloyd's IFSC as the case may be, and shall be resident in India; and
- (ii) satisfy the '*fit and proper*' criteria as specified by the Authority.

- (8) The Applicant other than those mentioned in sub-regulation (7) of Regulation 17, with prior permission of the Authority, shall :-

- (a) appoint at least the following Key Managerial Persons (KMP) who shall be responsible for the day to day administration and regulatory compliance of the IIO:-

- (i) a Chief Executive Officer;
- (ii) a Chief Finance Officer; and
- (iii) a Chief Underwriting Officer,

- (b) the IIO shall appoint such additional Key Managerial Persons as may be specified by the Authority from time to time;
- (c) The above-mentioned Key Managerial Persons shall:
 - (i) be in direct employment of the IIO and resident in India, and
 - (ii) satisfy the '*fit and proper*' criteria as specified by the Authority.
- (9) The IIOs shall comply with such re-insurance and retrocession related requirements as may be specified by the Authority from time to time.
- (10) An IIO shall maintain its books of accounts, records and documents in such form and manner as may be specified by the Authority;
- (11) An IIO shall comply with the Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) guidelines as may be issued by the Authority from time to time.
- (12) **Reporting requirements:**
 - (i) Every IIO shall furnish information relating to its operations to the Authority, in such manner, interval and in such FORM, as may be specified by the Authority;
 - (ii) Every financial reporting by a IIO to the Authority shall be in USD, unless otherwise specified by the Authority.
- (13) **Operational Requirements:**
 - (i) An IIO shall pay such fee and charges, as may be specified by the Authority;
 - (ii) An IIO may be permitted to have an INR account out of the freely convertible foreign currency to defray its administrative, statutory expenses and for such other purposes as may be specified by the Authority.
- (14) **Change in shareholding:** A public company granted registration as an IIO shall seek prior approval of the Authority for any change in the shareholding exceeding five *per cent.* of its paid-up equity share capital, whether by way of transfer of existing shares or by way of fresh issue of shares to either new or existing shareholder.
Provided that any change in shareholding which is less than five *per cent.* of its paid-up equity share capital shall be done with the prior intimation to the Authority.
- (15) Beside those requirements, an IIO shall follow such prudential norms, as may be specified by the Authority.

Chapter VI

MISCELLANEOUS

- 18. **Power to specify procedures and issue clarification:** For the purpose of implementation of these Regulations and matter incidental thereto, or in order to facilitate and regulate financial services related to insurance and re-insurance in an IFSC, the Authority may specify such norms, procedures, processes, manners or provide clarification and relaxations, by way of guidelines or circulars, as it may deem fit.
- 19. **Inspection, Investigation and Information:** The Authority shall have the power to inspect and/or investigate the affairs of the IIO including calling for the information from the IIO, its employees and the Applicant, so far as it relates to its activities as an IIO.
- 20. **Action in case of Default:**
 - (1) If pursuant to an inspection and/or investigation or otherwise, the Authority is of the opinion that the operations of an IIO are not being conducted in accordance with the provisions of the Act, rules or regulations made or circulars and guidelines issued thereunder or its activities are not in the interests of the insurance market or in the public interest, the Authority may take appropriate disciplinary action against it including but not limited to suspension or cancellation of certificate of registration, after giving an opportunity to the IIO of making its submissions.
 - (2) Without prejudice to the above, the Authority may take any other action as it deems fit, under the Act and other applicable laws.
- 21. **Surrender of Certificate of Registration:** An Applicant may be allowed to close its IIO and surrender its Certificate of registration only with the prior approval of the Authority and subject to such conditions as may be specified by the Authority.

22. Repeals and saving:

- (1) From the date of publication of these Regulations in the official gazette, the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Guideline No. IRDA/RI/GDL/SEZ/269/12/2017 dated 21st December, 2017, shall stand repealed;
- (2) Notwithstanding the above, anything done or any action taken or purported to have been done or taken in respect of the guidelines mentioned in sub-regulation (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations;
- (3) An IIO operating in the IFSC prior to the notification of these Regulations, shall comply with additional requirements, if any, introduced through these Regulations, within a period of three months from the date of notification of these Regulations or within such extended time as may be permitted by the Authority.

FIRST SCHEDULE

[Refer Regulations 4 (2)]

FORM – A**APPLICATION BY AN INDIAN INSURER OR INDIAN RE-INSURER****FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION AS IIO**

Sr. No.	Particulars	Applicant's Response	Remarks
Section A : Company Profile			
1	Name of the Applicant		
2	Address of its registered office		
3	Date of incorporation: [DD/MM/YYYY]		
4	Registration No. and date of first registration [DD/MM/YYYY]		Copy of the registration certificate
5	Line of business currently handled a. Lines of Insurance or Re-insurance Business as the case may be b. Countries of operation		
6	Amount of Authorised capital, Subscribed capital, Issued capital & Face value of shares and their numbers		
7	Board Resolution Provide a copy of the resolution by the Applicant's board in support of the commitment to set up an IIO.		Annexure -
8	Name, Address and contact details of the person responsible for the affairs of the proposed IIO		Provide a certified copy of the board resolution appointing the person responsible for affairs of IIO
9	Regulatory approvals Provide copies of regulatory approvals for opening of an office in SEZ for conducting insurance business in the SEZ.		Annexure -
10	Annual Reports Annual reports for the past 3 years.		Annexure -

11	Details of the Office proposed to be opened:	<p>a. Name of the office:</p> <p>b. office Address:</p> <p>c. Address for Communications (state the name of the Principal Officer, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details:</p> <p>d. Principle Officer for IIO & Key Management Personnel and allocation of responsibilities.(Proposed):</p> <p>e. Organizational structure. Reporting relationships of the IIO to the insurer:</p> <p>f. Planned infrastructure at proposed office</p>	
12	Details of payment of fee		
13	Solvency margin of the Indian insurer for three years preceding the date of application		
Section B: IIO Business Strategy			
14	<p><i>Types of Insurance or Re-insurance arrangements to be offered, as the case may be</i></p> <p>The Applicant may give detail of the types of insurance or re-insurance arrangements that it will offer to the Indian and other markets.</p>		Annexure -
15	<p><i>Underwriting</i></p> <p>This section should describe the approach used for underwriting of proposals, etc. Please also state the nature of support to be provided in underwriting and in training of underwriters and upgradation of skills of the local persons by the head office.</p>		Annexure -
16	<p><i>Recruitment and Training</i></p> <p>Different areas of the company require personnel with different skill sets. Some of the special technical skills would require special focus. The company may submit a detailed write-up on its plans to impart technical skills and knowledge locally.</p>		Annexure -
17	<p><i>Internal Controls</i></p> <p>The company will need to establish a set of procedures and norms for various activities. The manner in which these will be monitored should be described.</p>		Annexure -
18	<p><i>Expenses of Administration</i></p> <p>The proposed expenses as a per cent of premium.</p>		Annexure -
19	<i>Technical skills</i>		Annexure -

	The technical skills of the people who will work in the IIO and plan for imparting knowledge for skill upgradation at local level.		
20	<p>Financial Projections</p> <p>A description of the model used for financial projections should be provided, based on assumptions, for a period of 5 years, for each year from the start. Please provide details against each of the items listed in the next cell. (Amount should be in USD)</p>	<p>a. Amount of business.</p> <p>b. Size of support and administrative staff.</p> <p>c. Premium income.</p> <p>d. Investment income.</p> <p>e. Commissions and other sales related expenses.</p> <p>f. Expenses of administration.</p> <p>g. Statutory reserves.</p> <p>h. Required solvency margins.</p> <p>i. Profit and loss accounts and balance sheets.</p> <p>j. First year and renewal expense ratios.</p> <p>k. Capital needs</p> <p>l. Break-even periods and the Return on Capital.</p> <p>m. Retrocession with group companies</p> <p>n. Retrocession with others</p> <p>This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.</p>	Annexure -
21	<p>Conclusion</p> <p>In conclusion, please discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated</p>		

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant company, are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place

Date:

Signature of the Authorised Person (with Designation and Seal)

- **English Translation:** If any of the document which is not in English, a certified English translation is required. The English translation to be certified "true copy" by the insurance supervisory authority in country of the Applicant or an external legal counsel.

FORM – B

APPLICATION BY A FOREIGN INSURER OR FOREIGN RE-INSURER FOR GRANT OF
CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN IIO

S.No.	Particulars	Applicant's Response	Remarks
Section A : Company Profile			
1	Name of the Applicant		
2	Address of its registered office		
3	Date of incorporation as a Insurer / Re-insurer: [DD/MM/YYYY]		Certificate of incorporation/Deed of Covenant/Other valid proof
4	Registration No. (issued by the regulatory Authority in the country of the Applicant's domicile) and date of first registration [DD/MM/YYYY]		Copy of the registration certificate
5	Current lines of insurance business Lines of Insurance or Re-insurance Business Countries of operation		
6	Amount of Authorised capital, Subscribed capital and Issued Capital & Face value of shares and their numbers		
7	Name, Address and contact details of the person responsible for the affairs of the proposed IIO		Provide a certified copy of board resolution appointing the person responsible for affairs of IIO
8	Net Owned Funds of the Applicant as at close of immediately preceding financial year (Amount to be specified as Rs. In crore. Currency conversion shall be as per rate prevailing at the time of application)		
9	Credit rating for the last 3 years from internationally renowned credit rating agencies (minimum of 'BBB' or its equivalent)	Preceding year 1: Rating Agency: Preceding year 2: Rating Agency: Preceding year 3: Rating Agency:	Communication from the rating agency
10	Board Resolution Provide a copy of the resolution by the		Annexure -

	Applicant's board in support of the commitment to set up an IIO.		
11	<p>Regulatory approvals in India</p> <p>a. Provide certificates of approval from the appropriate authority for opening of an office/conducting of business in the SEZ.</p> <p>b. Permanent Account number (if allotted by IT authorities)</p> <p>c. Service Tax Registration details (if allotted)</p>		Annexure -
12	<p>Certificate from CA / CS</p> <p>Provide a certificate from a practicing Chartered Accountant in India or a practising Company Secretary in India certifying that all the requirements of the Act read with IFSCA(Registration of Insurance Business) Registration 2021 and notifications issued under section 2CA of the Act have been complied with by the Applicant</p>		Annexure -
13	<p>Annual Reports</p> <p>Annual reports for the past 3 years.</p>		Annexure -
14	Details of the office proposed to be opened:	<p>(a) Name of the Office:</p> <p>(b) Office Address (representative address or company address if the IIO office address is not available):</p> <p>(c) Address for Communications (state the name of the Principal Officer, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details):</p> <p>(d) Principle Officer & Key Management Personnel and allocation of responsibilities.(Proposed):</p> <p>(e) Organizational structure. Reporting relationships of the IIO to the holding company</p>	

		(f) Planned infrastructure at the proposed office	
15	Details of payment of fee		
16	Amount of Assigned Capital and the form in which it is maintained. Please indicate the sources of funds to meet the "Assigned Capital" requirement.		
17	Particulars of Previous Application: Has the Applicant ever applied for license in International Financial Services Centre to carry out insurance business? If so, give particulars.		

18. Details of shareholders of foreign (re)insurer: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the insurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the issued capital of the Applicant and promoters are to be given in separate statements.

Full Name [first, middle, surname]/Name of the Corporate	Date of Birth/ Date of incorporation	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications *	Experience *	Present occupation *	No.of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

*Columns 4 to 6 may be left blank for corporate shareholders.

Section B: Regulatory Compliance in the home country

19	Name, Address and contact details of the Regulatory Authority in the country of domicile where the Applicant is registered		
20	Regulatory Architecture Provide a note on the regulatory architecture of the Regulatory or Supervisory Authority where the Applicant is registered/licensed giving		Provide an Annexure with brief of the regulatory architecture in the areas of accounting, solvency and other reporting requirements-

	<p>provisions related to</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Products 2. Market conduct 3. Accounting 4. Asset Valuation 5. Liability Valuation 6. Solvency 7. ERM 8. Fit & Proper criteria <p>Framework with regard to supervision of subsidiary and foreign branches established in other jurisdictions.</p>		
21	<p><i>Certificate of Authorization</i></p> <p>Provide a certificate of authorization granted by the Regulatory or Supervisory Authority of the country of incorporation to set up an IIO.</p>		Annexure -
22	<p>Minimum Solvency Margin prescribed by the regulator in the country of domicile</p>		
23	<p>Solvency margin of the Applicant for three years preceding the date of application</p>		
Section C: IIO Business Strategy			
24	<p><i>Types of Re-insurance arrangements to be offered</i></p> <p>The Applicant may give detail of the types of re-insurance arrangements that it will offer to the Indian and other markets. Also, please include a note on the lines of business proposed to be underwritten at the IIO and stamp of the parent company being used at the IIO.</p>		Annexure -
25	<p><i>Underwriting</i></p> <p>This section should describe the approach used for underwriting of proposals, etc. Please also</p>		Annexure -

	state the nature of support to be provided in underwriting and in training of underwriters and upgradation of skills of the local persons by the head office.		
26	<p><i>Retention Limits and Re-insurance</i></p> <p>The nature of re-insurance arrangements should be described fully, giving the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The basis of re-insurance. • Terms of re-insurance. • Manner of re-insurance support from head office • Retention limits – in India • Retrocession within India • Retention limits – outside India 		Annexure -
27	<p><i>Internal Controls</i></p> <p>The company will need to establish a set of procedures and norms for various activities. The manner in which these will be monitored should be described.</p>		Annexure -
28	<p><i>Expenses of Administration</i></p> <p>The proposed expenses as a per cent of premium.</p>		Annexure -
29	<p><i>Financial Projections</i></p> <p>A description of the model used for financial projections should be provided, based on assumptions, for a period of 5 years, for each year from the start. Please provide details against each of the items listed in the next cell. (Amount should be in USD)</p>	<p>(a) Amount of business.</p> <p>(b) Size of support and administrative staff.</p> <p>(c) Premium income.</p> <p>(d) Investment income.</p> <p>(e) Commissions and other sales related expenses.</p> <p>(f) Expenses of administration.</p> <p>(g) Statutory reserves.</p> <p>(h) Required solvency margins.</p> <p>(i) Profit and loss accounts and balance</p>	Annexure -

		sheets. (j) First year and renewal expense ratios. (k) Capital needs (l) Break-even periods and the Return on Capital. (m) Retrocession to group companies (n) Retrocession to others This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.	
30	Conclusion In conclusion, please discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated		

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant Company, are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place :

Date :

Signature of the Authorised Person (his/her designation with Seal)

- **English Translation:** If any of the document which is not in English, a certified English translation is required. The English translation to be certified "true copy" by the insurance supervisory authority in country of the Applicant or an external legal counsel.

FORM – C

JOINT APPLICATION BY AN MGA AND FOREIGN INSURER OR FOREIGN RE-INSURER FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN IIO

S.No.	Particulars	Applicant's Response	Remarks
Section A : Company Profile			
1	Name of the applicant - Foreign Insurer or Foreign Re-insurer		
2	Name of the applicant – MGA		
3	Address of registered office of Foreign Insurer or Foreign Re-insurer		
4	Address of registered office		

	of MGA		
5	Date of incorporation (separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer) [DD/MM/YYYY]		Annexure - Certificate of incorporation/Deed of Covenant/Other valid proof
6	Registration No. (issued by the regulatory Authority in the country of the applicant's domicile) and date of first registration [DD/MM/YYYY] (Separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)		Annexure - Copy of the registration certificate
7	Current lines of insurance business Lines of Insurance or Re-insurance Business or both Countries of operation		(separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
8	Amount Of Authorized capital, Subscribed capital and Issued Capital & Face value of shares and their numbers of the relevant Foreign Insurer/s or Foreign Re-insurer/s or both.		(separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
9	Name, Address and contact details of – 1) Authorized person to make the application; and 2) the person responsible for the affairs of proposed IIO		Provide a certified copy of board resolution in support of both. (separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
10	Net Owned Funds of the relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer, at close of immediately preceding financial year (Amount to be specified as Rs. In crore. Currency conversion shall be as per rate prevailing at the time of application)		
11	Credit rating for the last 3 years from internationally renowned credit rating agencies (minimum of 'BBB' or its equivalent) of the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer.	Preceding year 1: Rating Agency: Preceding year 2: Rating Agency: Preceding year 3: Rating Agency:	Communication from the rating agency

12	<p>Board Resolution</p> <p>Provide a copy of the resolution by the applicant's board in support of the commitment to set up an IIO. (Service Company and the Foreign Insurer/s or Foreign Re-insurer/s or both)</p> <p>Provide the certified copy of the terms of delegation of authority to the MGA by the Foreign Insurer or Foreign Reinsure or the binding agreement / binder as applicable.</p>		Annexure – (Separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
13	<p>Regulatory approvals in India as applicable</p> <p>a. Provide certificates of approval from the appropriate authority for opening of an office/conducting of business in the SEZ.</p> <p>b. Permanent Account number (if allotted by IT authorities)</p> <p>c. Service Tax Registration details (if allotted)</p>		Annexure -
14	<p>Certificate from CA / CS</p> <p>Provide a certificate from a practicing Chartered Accountant in India or a practising Company Secretary of India certifying that all the requirements of the Act read with IFSCA(Registration of Insurance Business) Registration 2021 and notifications issued under section 2CA of the Act have been complied with by the applicant</p>		Annexure – (Separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
15	<p>Annual Reports</p> <p>Annual reports for the past 5 years.</p>		Annexure – (Separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
16	<p>Details of the office proposed to be opened:</p>	<p>(a) Name of the Office:</p> <p>(b) Office Address (representative address or company address if the IIO office address is not available):</p> <p>(c) Address for Communications (state the name of the Principal Officer, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other</p>	

		details:					
		(d) Principle Officer & other officials and allocation of responsibilities. (Proposed):					
		(e) Organizational structure. Reporting structure of the IIO to the holding company					
		(f) Planned infrastructure at the proposed office					
17	Details of payment of fee						
18	Amount of Assigned Capital and the form in which it is maintained. Please indicate the sources of funds to meet the "Assigned Capital" requirement.						
19	Particulars of Previous Application: Has the applicant ever applied for license in International Financial Services Centre to carry out insurance business? If so, give particulars.						
20. Details of shareholders (Separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer) as applicable [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the insurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the issued capital of the applicant and promoters are to be given in separate statements.							
Full Name [first, middle, surname]/Name of the Corporate	Date of Birth/ Date of incorporation	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications*	Experience*	Present occupation*	No.of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							
*Columns 4 to 6 may be left blank for corporate shareholders.							

Section B: Regulatory Compliance in the home country

21	Name, Address and contact details of the Regulatory Authority in the country of domicile where the applicant is registered		(Separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
22	Regulatory Architecture Provide a note on the regulatory architecture of the Regulatory or		Annexure – (Separate for MGA and the Foreign

	Supervisory Authority where the applicant		Insurer or Foreign Re-insurer)
	is registered/licensed giving provisions related to 1. Products. 2. Market conduct 3. Accounting 4. Asset Valuation 5. Liability Valuation 6. Solvency 7. ERM 8. Fit & Proper criteria 9. Framework with regard to supervision of subsidiary and foreign branches established in other jurisdictions.		
23	<i>Certificate of Authorization</i> Provide a certificate of authorization granted by the Regulatory or Supervisory Authority of the country of incorporation to set up an IIO.		Annexure – (Separate for MGA and the Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
24	Minimum Solvency Margin prescribed by the regulator in the country of domicile		(for the relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
25	Solvency margin of the applicant for five years preceding the date of application		for the relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer)
Section C: IIO Business Strategy			
26	<i>Types of Re-insurance or Insurance arrangements to be offered</i> The applicant may give detail of the types of re-insurance arrangements that it will offer to the Indian and other markets. Also, please include a note on the lines of business proposed to be underwritten at the IIO and stamp of the parent company being used at the IIO.		Annexure -
27	<i>Underwriting</i> This section should describe the approach used for underwriting of proposals, etc. Please also state the nature of support to be provided in underwriting and in training of underwriters and upgradation of skills of the local persons by the head office.		Annexure -
28	<i>Retention Limits and Re-insurance (as</i>		Annexure -

	<i>applicable)</i> The nature of re-insurance arrangements should be described fully, giving the following details:		
	<ul style="list-style-type: none"> • The basis of re-insurance. • Terms of re-insurance. • Manner of re-insurance support from head office • Retention limits – in IFSC • Retrocession within IFSC • Retention limits – outside IFSC 		
29	Internal Controls The company will need to establish a set of procedures and norms for various activities. The manner in which these will be monitored should be described.		Annexure -
30	Expenses of Administration The proposed expenses as a per cent of premium.		Annexure -
31	Financial Projections A description of the model used for financial projections should be provided, based on assumptions, for a period of 5 years, for each year from the start. Please provide details against each of the items listed in the next cell. (Amount should be in USD)	<ul style="list-style-type: none"> (a) Amount of business. (b) Size Of Support and administrative staff. (c) Premium income. (d) Investment income. (e) Commissions and other sales related expenses. (f) Expenses (g) Statutory reserves. (h) Required solvency margins. (i) Profit and loss accounts and balance sheets. (j) First year and renewal expense ratios. (k) Capital needs (l) Break-even periods and the Return on Capital. (m) Retrocession to group companies (n) Retrocession to others <p>This section should also discuss the</p>	Annexure -

		manner in which the future capital needs will be met.	
32	Conclusion		
	In conclusion, please discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated		

Joint Declaration by the MGA and relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer

We the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicants, are true & correct and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place :

Date :

Signature of the Authorized Person representing MGA

(Name, Designation and Company seal)

Place :

Date :

Signature of the Authorized Person representing Foreign Insurer or Foreign Re-insurer

(Name, Designation and Company seal)

- English Translation:** If any of the document which is not in English, a certified English translation is required. The English translation to be certified "true copy" by the insurance supervisory authority in country of the applicant or an external legal counsel.

FORM – D

APPLICATION BY AN PUBLIC COMPANY, WHOLLY OWNED SUBSIDY OF INSURER OR RE-INSURER, INSURANCE CO-OPERATIVE SOCIETY, BODY CORPORATE INCORPORATED OUTSIDE INDIA FOR GRANT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION AS IIO

Sr. No.	Particulars	Applicant's Response	Remarks
Section A : Company Profile			
1	Name of the Applicant		
2	Address of its registered office		
3	Date of incorporation: [DD/MM/YYYY]		
4	Registration No. (issued by Registrar of Companies)		Copy of the registration certificate
5	State the classes of insurance business for which registration is sought:		
6	Amount of Authorised capital, Subscribed capital, Issued capital & Face value of shares and their numbers		
7	Amount of Paid up Capital & Number of equity shares:		

Note: If the investor is a company or a body corporate registered in India, give the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. If there are more than one investor, the information may kindly be furnished in such a manner as to indicate clearly the inter-relationship, if any, of parties. If an investor is a nominee of another, details of the principal Investor in the above areas are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant, its promoters and others connected thereto.

If the total required Capital has not yet been issued, please provide information on the expected subscription to shares and whether the potential shareholders have given any commitment or assurance to subscribe to the capital.

In case an Indian investor is having shareholding in any other insurers, separate detail of the same need to be provided.

14	Applicant: This section should set out the background information. Following informationshould be included:		
14 (a)	Particulars of the partners in the joint venture (e.g. company name, address, names of directors, etc.).		
14 (b)	Constitution of the promoter companies – details of shareholders holding in excess of 1% of the paid up capital.		
14 (c)	Nature of business, years in business of promoter companies.		
14(d)	Constitution of the Investors – details of shareholders holding in excess of 1% of the paid up capital		
14(e)	Nature of business, years in business of investors' companies		
14(f)	Past record of regulatory interventions/restrictive directions in respect of promoter / investor companies		
14(g)	The applicant's reasons for entering the insurance market		
14(h)	Financial statements for the last five years		
14(i)	Strengths of the partners.		
14(j)	Indication of the degree of commitment to the Indian market place displayed by the applicant.		
14(k)	The Agreement among the shareholders promoting the company.		
14(l)	The obligations undertaken by the Foreign Investors		
14(m)	The obligations of the applicant company to the Foreign Investors.		

14(n)	Sources for meeting the initial and future capital needs.		
14(o)	In cases of non-corporate promoters / investors, information on the above lines, suitably modified, may be given.		

15) Promoters

(Separate statements for Indian promoters and foreign investors, if any, are to be given)

Details of promoters and investors: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital, Occupation, Qualifications and Experience, Number and Percentage of share capital in the company]

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualification	Experience	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr./Ms.							

If the foreign investor is a company or a body corporate registered in India or in a foreign country, give the name of the company or body corporate in column (1), furnish the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col. (5), leaving the columns 4 and 6 blank. The particulars of persons nominated by such foreign investors in the above *pro forma*; and particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years should also be provided.

16	The Applicant Company: This section should provide the key aspects of the Company. This will cover the following:		
16(a)	Name of the applicant Company:		
16(b)	Date of Registration [DD/MM/YYYY] (As per Companies Act, 2013)		
16(c)	Registration Number		
16(d)	Registered Office Address		
16(e)	Head Office Address		
16(f)	Address for Communication (state the name of the Company Secretary, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details)		
16(g)	Key aspects of the Indian Promoters and Foreign Investors (e.g. respective		

	shareholdings, roles and responsibilities, directorships, inter-relationships etc)		
16(h)	Particulars of the Board of Directors		
16(i)	States of operation		
16(j)	Branch locations. (Proposed)		
16(k)	Company's Mission Statement		
16(l)	Senior management (key persons) and allocation of responsibilities (Proposed)		
16(m)	Organizational structure Reporting relationships		
16(n)	Allocation of responsibilities between the head office and the operational units: [Enclose four certified copies of Memorandum and Articles of Association of the registered company]		
17	Capital Structure		
17(a)	Amount of Authorised capital & No. of Shares:		
17(b)	Classification of Shares		
17(c)	Amount of Issued Capital & No. of Shares		
17(d)	Amount of Paid up Capital & No. of Shares:		
17(e)	Voting Rights attached to each class of Shares		
17(f)	Nominal/Face value of Each Equity Share/ Other Share:		
18	Directors and Key Management Persons: For each director and key management persons, furnish the particulars in the pro forma given below:-		
18(a)	Name (and any previous names) of KMP:		
18(b)	Present Residential Address:		
18(c)	Current Telephone, Fax and E-mail Addresses		
18(d)	Date and Place of Birth		
18(e)	Nationality (and any previous Nationality):		
18(f)	Passport / Identity Card:		

	i. Number: ii. Date and Place of Issue: iii. Date of expiry: iv. Issuing Authority		
18(g)	Name and Address of Bank		
18(h)	Details and Dates of Academic Qualification		
18(i)	Details and Dates of Professional Qualification		
18(j)	Experience (covering preceding 5 years)		
18(k)	(a) Details of previous employment (in the last 5 years)		
	(b) If previous employer was regulated by a regulatory body, then: i. Name of the Previous Employer: ii. Nature of Employer's business: iii. Name of the Regulatory body supervising the Employer: iv. Last Designation (including duties & responsibilities. v. Date of Appointment: vi. Date of Resignation:		
18(l)	Details of other business interests of the Key Management Person during the preceding 5 years in the form of holding equity shares in excess of 2% or Directorships in any other entity		
18(m)	Relationship of KMP with the Insurer and related parties of insurer, if any:		
	(a) Details of any shareholdings or voting powers in excess of 2% in the Insurer and related parties of insurer:		
	(b) Details of any Business relationships with the Insurer or related parties of insurer:		
	(c) Details of any Business relationships between the Directors' and key management persons' former employers and the insurer or related parties of insurer		
18(n)	Full details on the Key Management Persons' reputation and character		
	(a) whether the KMP has ever been		

	declared bankrupt		
	(b) details of convictions for any offence involving fraud or other dishonesty		
	(c) any disqualification from acting as a Director/ Key Management Person in any company		
	(d) whether the Director or key management person has ever been refused (or had been revoked) a licence or authorization to carry on any regulated financial business during the past five years.		
18(o)	Details of any censure or disciplinary action initiated by any Government, regulatory or professional body		
18(p)	Details of any dismissal from office or employment, subsection to disciplinary proceedings by the previous employer or refusal of entry into any profession or occupation		
18(q)	Details of conviction, if any of the Key Management Person for any offence involving moral turpitude		
18(r)	Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organization with which the Key Management Person has been associated as a director, officer, manager or shareholder?		
18(s)	Whether any company or organization with which the Key Management Person was associated as a director, officer, manager, has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Key Management Person was associated with it; or within one year after the Key Management Person so ceased to be associated?		
18(t)	Please mention whether the Key Management Person is also an Insurance Corporate Agent, employee of Insurance Broker, Director or Employee of any other insurance intermediaries or Insurer or Re-insurer in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country		
18(u)	Whether the Key Management Person is in the full time employment of the insurer? If not, then please give the full details of other employment/ engagement:		

18(v)	Whether the Key Management Person is on deputation / secondment from any other organization? If yes,		
	(a) furnish the full particulars of the Parent Organization:		
	(b) whether any remuneration etc., is paid by the Parent Organization, if so complete details of the remuneration:		
18(w)	Whether the Key Management Person is into the full time / part time employment of any group company / associated company or the promoting partner of the insurer?		

In the Remarks column, please mention whether any director or key management person is an agent, broker, intermediary, director or employee of any other insurance company (or Re-insurer) in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country,

19) External Auditors*:(Proposed)

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Date of Appointment	Experience in auditing insurance companies	Period of appointment	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

If auditors are a firm, state the name of the firm in Col (1), its date of registration in Col (2)

*No auditor can be appointed unless the auditor satisfies the criteria stated in Section 143 of the Companies Act, 2013

20	Business to be transacted Describe the insurance business to be transacted:		
20(a)	Global Geographies in which you wish to carry on insurance business?		
20(b)	Distribution Channels: such as Direct, Brokers, Corporate Agents, Online Sale, Others (Pl specify)		

21	Sensitivity Analysis The analysis set out in para 19 above will be based on a base scenario and a few alternate scenarios. Sensitivity analysis based on “Optimistic” and “Pessimistic” assumptions should also be included. These will relate to assumptions such as:		
21(a)	Volume of sales.		
21(b)	Size of sales force.		
21 (c)	Average size of sale.		
21(d)	Levels of mortality/morbidity, policy terminations(Life)		
21(e)	Administrative expenses (including inflation).(Life)		
21(f)	Future investment conditions.(Life)		

A discussion on the manner in which the outcome of the pessimistic scenarios will be handled should be included.

22) Particulars of Previous Application:

Has the applicant ever applied for grant of Certificate of Registration in India or outside India? so, give particulars.

23	Annual Reports Annual reports for the past 3 years.		Annexure -
24	Details of the Office proposed to be opened:	g. Name of the office: h. office Address: i. Address for Communications (state the name of the Principal Officer, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details: j. Principle Officer for IIO & Key Management Personnel and allocation of responsibilities.(Proposed): k. Organizational structure. Reporting relationships of the IIO to the insurer: l. Planned infrastructure at proposed office	
25	Details of payment of fee		
26	Solvency margin of the Indian insurer for three years preceding the date of application		
Section B: IIO Business Strategy			
27	Types of Insurance or Re-insurance arrangements to be offered, as the case may be The Applicant may give detail		Annexure -

	of the types of insurance or re-insurance arrangements that it will offer to the Indian and other markets.		
28	Underwriting This section should describe the approach used for underwriting of proposals, etc. Please also state the nature of support to be provided in underwriting and in training of underwriters and upgradation of skills of the local persons by the head office.		Annexure -
29	Recruitment and Training Different areas of the company require personnel with different skill sets. Some of the special technical skills would require special focus. The company may submit a detailed write-up on its plans to impart technical skills and knowledge locally.		Annexure -
30	Internal Controls The company will need to establish a set of procedures and norms for various activities. The manner in which these will be monitored should be described.		Annexure -
31	Expenses of Administration The proposed expenses as a per cent of premium.		Annexure -
32	Technical skills The technical skills of the people who will work in the IIO and plan for imparting knowledge for skill upgradation at local level.		Annexure -
33	Financial Projections A description of the model used for financial projections should be provided, based on assumptions, for a period of 5 years, for each year from the start. Please provide details against each of the items listed in the next cell. (Amount should be in USD)	<ul style="list-style-type: none"> o. Amount of business. p. Size of support and administrative staff. q. Premium income. r. Investment income. s. Commissions and other sales related expenses. t. Expenses of administration. u. Statutory reserves. v. Required solvency margins. w. Profit and loss accounts and balance sheets. x. First year and renewal expense ratios. y. Capital needs z. Break-even periods and the Return on Capital. aa. Retrocession with group companies bb. Retrocession with others 	Annexure -

		This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.	
34	Conclusion: In conclusion, please discuss the viability of the operations. Any special issues or concerns should also be indicated		

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant company, are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place

Date:

Signature of the Authorised Person (with Designation and Seal)

- **Explanation:** Where the Applicant is other than public company, the Authority may specify an alternate application form, if required.
- **English Translation:** If any of the document which is not in English, a certified English translation is required. The English translation to be certified “true copy” by the insurance supervisory authority in country of the Applicant or an external legal counsel.

SECOND SCHEDULE

[Refer Regulations 4]

Provisions applicable for Lloyd’s and Lloyd’s IFSC:

1. Definitions applicable for Lloyd’s and Lloyd’s IFSC:
 - (a) “administrator”, for the purposes of these Regulations means Lloyd’s IFSC, except “members of Lloyd’s”
 - (b) “binding authority” means an agreement between a Service Company and a coverholder under which the Service Company authorises the coverholder to enter into a contract of insurance on behalf of the members of a syndicate for whom the Service Company acts as an agent;
 - (c) “Chain of Security”, in relation to a member of Lloyd’s, means the member’s premiums trust fund, funds at Lloyd’s as defined in paragraph 17 of the Lloyd’s Membership Byelaw (No. 5 of 2005), other personal wealth of the member and the New Central Fund;
 - (d) “Council of Lloyd’s” means the Council of Lloyd’s established by the Lloyd’s Act 1982 of the United Kingdom;
 - (e) “Coverholder”, in relation to a Service Company, means a person authorised by the Service Company under a binding authority to enter into a contract of insurance on behalf of the members of a syndicate —
 - (i) for whom the Service Company acts as an agent; and
 - (ii) who have authorised the Service Company to enter into such binding authority with the person;
 - (f) “Principal officer”, in relation to the administrator or a Service Company, means any person, by whatever name described,
 - (i) who —
 - a) is in the direct employment of the administrator or the Service Company, as the case may be;
 - b) is acting for the administrator or the Service Company, as the case may be; or

- c) has an arrangement with the administrator or the Service Company, as the case may be, to act for the administrator or the Service Company; and
 - (ii) who is concerned with or takes part in the management of the administrator or the Service Company, as the case may be, on a day-to-day basis;
 - (g) ‘Managing Agent’ means:
 - (i) a person listed as a managing agent on the register of underwriting agents maintained under the Lloyd’s Underwriting Byelaw (No. 2 of 2003); or
 - (ii) a person appointed to perform the functions of a managing agent under Part K of the Lloyd’s Underwriting Byelaw (No. 2 of 2003);
 - (h) ‘Members of Lloyd’s’ means a person admitted to membership of Lloyd’s as an underwriting member who wish to participate in Lloyd’s at the IFSC;
 - (i) ‘Service Companies of Lloyd’s IFSC’ or “Service Companies” means:
 - i) Service Companies promoted by Managing Agents of Lloyd’s
 - ii) Service Companies promoted by Companies registered in India under Companies Act, 2013 and meets the specified criteria;
 - (j) ‘Syndicate’ means a *member* or group of *members* underwriting insurance business at Lloyd’s through the agency of a *managing agent* or a *substitute agent* to which a syndicate number is assigned by the *Council of Lloyd’s*.
 - (k) ‘Syndicates of Lloyd’s IFSC’ means Syndicates of Lloyd’s who wish to participate in Lloyd’s IFSC through a service company or coverholder delegated authority arrangement.
- 2. Constituents of Lloyd’s IFSC include:
 - (a) Members of Lloyd’s,
 - (b) Syndicates
 - (c) Service companies who wish to underwrite re-insurance business on behalf of Syndicates,
- 3. Lloyd’s IFSC being a market shall ensure that the market and the constituents are housed within an office location of Lloyd’s IFSC for the conduct of insurance or re-insurance business.
- 4. **Conditions on transacting insurance or re-insurance business:** A member of Lloyd’s may transact insurance business from Lloyd’s IFSC if –
 - (1) the member registers with the administrator in accordance with regulation 5 of SECOND SCHEDULE;
 - (2) the member carries on insurance business, and enters into contracts of insurance, in Lloyd’s IFSC through a Service Company;
 - (3) the member authorises Service Company acting on behalf of it for the purposes of these Regulations to accept service of notices and legal processes in respect of or connected to the carrying on of insurance business in the IFSC, including any notice or direction of the Authority to the member; and
 - (4) Lloyd’s has given an undertaking to the Authority that the holder of any insurance policy issued by the member under these Regulations shall have recourse to the Chain of Security, in accordance with and subject to the terms of the relevant Lloyd’s trust deeds and Lloyd’s byelaws, conditions and requirements governing the trust deeds, to the same extent as the holder of a general business policy issued by the same member of Lloyd’s in London.
- 5. **Members of Lloyd’s:**
 - (1) A member of Lloyd’s who wish to transact insurance business in an IFSC under these Regulations shall apply for registration with the administrator;
 - (2) An application for registration under sub-regulation (1) shall be in such form and contain such particulars as the administrator may determine;
 - (3) the administrator shall not register the Applicant unless it is satisfied that the
 - (a) Applicant is a member of Lloyd’s; and

- (b) Applicant has appointed one or more Service Companies through which it intends to transact insurance or re-insurance business in an IFSC.
- (4) Lloyd's IFSC in specified format shall inform the Authority the details of Members of Lloyd's who wish to participate in an IFSC;
- (5) The list of Members of Lloyd's underwriting through Service Companies of Lloyd's IFSC shall be furnished to the Authority on an annual basis.
- 6. Norms for establishing Service Companies of Lloyd's IFSC:** Managing Agents of Lloyd's and companies registered under Companies Act, 2013 wishes to participate in Lloyd's IFSC shall set up a service company with the following norms:
- (1) The service company may be a private or a public company registered with Registrar of Companies in India, with a minimum paid up capital of INR five lakh;
- (2) The main objects of Memorandum of Association and Article of Association shall be to provide all technical, underwriting, binding risks, settling claims, administrative, accounting, investment, regulatory and other assistance to the syndicate(s) whom they represent;
- (3) The service company shall be responsible for all statutory & regulatory filings and compliances on behalf of the syndicate it represents;
- (4) Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.
- 7. Registration of service company at Lloyd's IFSC:**
- (1) The Managing Agents of Lloyd's who wish to set-up a service company on behalf of members of Lloyd's under these Regulations, shall make an application for registration with administrator;
- (2) An application for registration under sub-regulation (1) shall be in such form and contain such particulars as the administrator may determine;
- (3) Upon receiving an application under sub-regulation (1), the administrator shall —
- (i) inform the Authority in writing about receipt of such application and furnish the particulars of the Applicant specified by the Authority and such other information as the Authority may require; and
- (ii) register the Applicant unless the Authority objects to the registration.
- (4) The service company shall indicate the syndicate(s) that it represents at Lloyd's IFSC;
- 8. Undertakings to be submitted by service company to Lloyd's IFSC:**
- (1) The service company shall submit the Lloyd's Service Company Coverholder Undertaking through which the Service Company agrees to comply with all relevant rules and requirements of Lloyd's and the local legal, fiscal, taxation and regulatory authorities;
- (2) The service company shall also submit the Lloyd's Coverholder Decision Paper which provides detailed information on the proposed Service Company, including:
- (a) the level of underwriting and claims authority granted to the Service Company,
- (b) the business strategy for the Service Company,
- (c) details relating to principal staff operating in the Service Company,
- (d) financial information,
- (e) professional indemnity details,
- (f) classes of business to be underwritten by the Service Company,
- (g) the approach the Service Company will take to ensure compliance with registration requirements
- (h) other requirements as specified by Lloyd's subject to approval of the Authority.
- (3) Subsequent to submitting the decision paper, the service company shall perform Lloyd's Service Company Self- Assessment against the Lloyd's Minimum Standards which includes information such as any internal audit carried out on the Service Company;
- (4) Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.

9. Conditions governing service companies of Lloyd's IFSC:

- (1) The service companies of Lloyd's IFSC shall be subject to compliance of the conditions laid down by Lloyd's or Lloyd's IFSC as the case may be;
- (2) The service companies shall enter into Service Company Underwriting Agreement, a contract that delegates authority to the service company from the Members of the relevant syndicates;
- (3) The service company of Lloyd's IFSC under the Service Company Underwriting Agreement shall be responsible for the following -
 - (a) Binding insurances and amendments thereto on behalf of Members of Lloyd's;
 - (b) Acting on behalf of Members of Lloyd's for the purpose of receiving premiums from insured, reinsured's and settling refunds and to receive claims money prior to onward transmission to insured, reinsured's;
 - (c) management and control of expenses;
 - (d) employment of underwriting staff;
 - (e) Any other task that may be entrusted to it by Managing Agent to carry out the business of re-insurance in an efficient manner.
- (4) The service company or any coverholder authorized by the Service Company shall undertake the following -
 - (a) issuance of documents evidencing the contracts of insurance, endorsements and other such documents evidencing cover as may be agreed in writing by the underwriters;
 - (b) collect and process premiums and return premiums on behalf of the underwriters;
 - (c) handle claims and/or settle claims, if authorised;
 - (d) shall use prominently the name of the Syndicates which they represent and that they are merely writing on Syndicates capacity and not acting as insurers themselves;
 - (e) compliance to the conditions laid down by Lloyd's IFSC;
 - (f) compliance of Act, regulations, guidelines, circulars issued by the Authority;
 - (g) compliance to any other requirement that may be specified by the Authority from time to time;
- (5) A Service Company shall be responsible for accepting and responding to notices and legal processes to concerned members of Lloyd's transacting insurance business in an IFSC under these Regulations.

10. Cancellation of registration of Service Company:

- (1) The Authority may, on any of the grounds set out in sub-regulation (2) direct the administrator to cancel the registration of any Service Company;
- (2) The grounds referred to in sub-regulation (1) are -
 - (a) that the Service Company has not commenced business within 12 months after being registered under regulation 7 of second schedule;
 - (b) that the Service Company has ceased to act as an agent in an IFSC for any member of Lloyd's;
 - (c) that it appears to the Authority that the Service Company has failed to satisfy an obligation to which it is subject to by virtue of these Regulations;
 - (d) that the Service Company is carrying on its business in a manner likely to be detrimental to the interest of the policy holders or insurance market ;
 - (e) that the Service Company has contravened any of the provisions of the Insurance Act, 1938, any of the regulations made thereunder or any direction given by the Authority under the Act or the regulations made thereunder;
 - (f) that any of the officers of the Service Company holding a managerial or executive position has been convicted of any offence under the Insurance Act, 1938, Act or the regulations made thereunder;

- (g) that the Service Company has, in its application for registration under Regulation 7 (1) of SECOND SCHEDULE, furnished false, misleading or inaccurate information, or concealed or failed to disclose material facts.

THIRD SCHEDULE

[Refer Regulations 4]

Provisions applicable for MGA and relevant Foreign Insurer or Foreign Re-insurer

1. **Norms for establishing MGA in an IFSC:** An MGA registered under Companies Act, 2013, desirous to transact insurance business in an IFSC, shall set up a company with the following norms:
 - (1) The MGA may establish a private or a public company registered with Registrar of Companies in India, with a minimum paid up capital of INR five lakh;
 - (2) The main objects of Memorandum of Association and Article of Association shall be to provide all technical, underwriting, binding risks, settling claims, administrative, accounting, investment, regulatory and other assistance to the foreign insurer or foreign re-insurer to whom they represent;
 - (3) The MGA shall be responsible for all statutory & regulatory filings and compliances on behalf of the foreign insurer or foreign re-insurer it represents;
 - (4) Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.
2. **Conditions on transacting insurance or re-insurance business:**
 - (1) An MGA may transact insurance business from an IFSC if –
 - (a) relevant foreign insurer or foreign re-insurer carries on insurance business, through an MGA and enters into contracts of insurance, in an IFSC;
 - (b) the foreign insurer or foreign re-insurer authorises MGA acting on behalf of it for the purposes of these Regulations to accept service of notices and legal processes in respect of or connected to the carrying on of insurance business in an IFSC, including any notice or direction of the Authority to such the foreign insurer or foreign re-insurer; and
 - (c) such the foreign insurer or foreign re-insurer has given an undertaking to the Authority that it shall meet claims against the MGA underwriting insurance or re-insurance on its behalf in an IFSC.
 - (2) The MGA shall submit an undertaking through which it agrees to comply with all relevant rules and requirements of relevant foreign insurer or foreign re-insurer for acting on its behalf from an IFSC and also compliance with the local legal, fiscal, taxation and regulatory authorities;
 - (3) The MGA shall also submit certified copy of '*binding agreement*' which provides detailed information on the proposed MGA, including but not limited to the following:
 - (a) the level of underwriting and claims authority granted to the MGA,
 - (b) the business strategy for the MGA,
 - (c) details relating to principal staff operating in the MGA,
 - (d) financial information,
 - (e) professional indemnity details,
 - (f) classes of business to be underwritten by the MGA,
 - (g) the approach the MGA will take to ensure compliance with registration requirements
 - (h) other requirements as may specified by relevant foreign insurer or foreign re-insurer.
 - (4) The MGA under the '*binding agreement*' shall be responsible for the following –
 - (a) Binding insurances and amendments thereto on behalf of foreign insurer or foreign re-insurer;
 - (b) Acting on behalf of foreign insurer or foreign re-insurer for the purpose of receiving premiums from insured, re-insured's and settling refunds and to receive claims money prior to onward transmission to insured, re-insured's;

- (c) management and control of expenses;
- (d) employment of underwriting staff;
- (e) Any other task that may be entrusted to it by foreign insurer or foreign re-insurer to carry out the business of re-insurance in an efficient manner.
- (5) The MGA shall undertake the following –
- (a) issuance of documents evidencing the contracts of insurance, endorsements and other such documents evidencing cover as may be agreed in writing by the foreign insurer or foreign Re-insurer;
- (b) collect and process premiums and return premiums on behalf of the foreign insurer or foreign Re-insurer;
- (c) handle claims and/or settle claims, if authorised;
- (d) shall use prominently the name of the foreign insurer or foreign Re-insurer which it represent and that the MGA is merely writing on such foreign insurer or foreign Re-insurer's capacity and not acting as insurers themselves;
- (e) compliance of Act, rules, Regulations, guidelines, circulars issued by the Authority from time to time;
- (f) An MGA shall be responsible for accepting and responding to notices and legal processes to concerned foreign insurer or foreign Re-insurer transacting insurance business in an IFSC under these Regulations;
- (6) Any other requirement that may be specified by the Authority from time to time.

FOURTH SCHEDULE

[Refer Regulations 7]

FORM - A

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number. _____

In exercise of the powers conferred by section 12 and 13 of IFSCA Act, 2019 read with sub-section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority hereby grants a certificate of registration to *(entity name and address)* to transact the class(es) of business specified in the schedule below.

This certificate of registration is subject to the provisions of The International Financial Service Centres Authority Act, 2019, The Insurance Act, 1938, and IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021.

Given under the seal of the Authority at this _____ day of _____ two thousand and _____

Authorized Signatory

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

(Seal of the Authority)

Schedule

Classes of business which may be transacted:--

1. _____
2. _____
3. _____

FORM – B**JOINT CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR MGA AND RELEVANT FOREIGN INSURER OR
FOREIGN RE-INSURER***INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY***JOINT CERTIFICATE OF REGISTRATION**

Registration Number. _____

In exercise of the powers conferred by section 12 and 13 of IFSCA Act, 2019 read with sub-section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority hereby grants joint certificate of registration to:

(name and address of relevant foreign insurer or foreign re-insurer), along with

(name and address of MGA) to act as its MGA,

to transact the class(es) of business specified in the schedule below.

This certificate of registration is subject to the provisions of The International Financial Service Centres Authority Act, 2019, The Insurance Act, 1938, and IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021.

Given under the seal of the Authority at this _____ day of _____ two thousand and _____

Authorized Signatory**INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY****(Seal of the Authority)**

Schedule

Classes of business which may be transacted:--

1. _____
2. _____
3. _____

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./344/2021-22]